

अध्याय-II

राजस्व क्षेत्र

अध्याय-II

राजस्व क्षेत्र

2.1 परिचय

2.1.1 राजस्व प्राप्ति की प्रवृत्ति

वर्ष 2013-14 के दौरान उत्तराखण्ड सरकार द्वारा उदगृहित कर एवं करेतर राजस्व, वर्ष के दौरान राज्य को समनुदेशित विभाज्य संघीय करों एवं शुल्कों के निवल आगमों का राज्यांश एवं भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान तथा विगत चार वर्षों के तदनुरूपी आँकड़े तालिका 2.1.1 में दिये गये हैं।

तालिका 2.1.1
राजस्व प्राप्ति प्रवृत्तियाँ (₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
1	राज्य सरकार द्वारा उदगृहित राजस्व					
	• कर राजस्व	3,559.04	4,405.48	5,615.62	6,414.25	7,355.34
	• करेतर राजस्व	631.86	678.06	1,136.13	1,602.88	1,316.54
	योग	4,190.90	5,083.54	6,751.75	8,017.13	8,671.88
2	भारत सरकार से प्राप्तियाँ					
	• विभाज्य संघीय करों एवं शुल्कों के निवल आगमों का अंश ¹	1,550.01	2,460.07	2,866.04	3,272.88	3,573.38
	• सहायता अनुदान	3,745.22	4,064.56	4,073.45	4,457.21	5,075.27
	योग	5,295.23	6,524.63	6,939.49	7,730.09	8,648.65
3	राज्य सरकार की कुल राजस्व प्राप्तियाँ (1 एवं 2)	9,486.13	11,608.17	13,691.24	15,747.22	17,320.53
4	1 से 3 की प्रतिशतता	44	44	49	51	50

स्रोत: वित्त लेखे

उपरोक्त तालिका दर्शाती है कि वर्ष 2013-14 के दौरान, कुल राजस्व प्राप्तियों का 50 प्रतिशत (₹ 8,671.88 करोड़) राज्य सरकार द्वारा उदगृहित किया गया। 2013-14 के दौरान प्राप्तियों का शेष 50 प्रतिशत (₹ 8,648.65 करोड़) भारत सरकार से विभाज्य संघीय करों एवं शुल्कों के निवल आगमों का अंश एवं सहायता अनुदान के हिस्से के रूप में था।

2.1.2 वर्ष 2009-10 से 2013-14 की अवधि के दौरान उदगृहित कर राजस्व का विवरण तालिका 2.1.2 में दर्शाया गया है।

¹ नोट: विवरण हेतु, कृपया उत्तराखण्ड सरकार के वर्ष 2013-14 के वित्त लेखों (खण्ड-II) में लघु शीर्षों द्वारा राजस्व के विस्तृत लेखे का विवरण सं.-11 देखें। उपरोक्त तालिका में आंकड़े मुख्य लेखाशीर्ष- 0020-निगम कर, 0021-निगम कर से भिन्न आय पर कर, 0032-सम्पत्ति कर, 0037-सीमा शुल्क, 0038-संघीय उत्पाद शुल्क तथा 0044-सेवा कर 'अ-कर राजस्व' के अन्तर्गत वित्त लेखों में अंकित राज्यों को समुदेशित निवल प्राप्तियों के अंश को, राज्य द्वारा उदगृहित राजस्व से निकाल दिया गया है तथा इस विवरण के विभाज्य संघीय करों में राज्य के हिस्से में सम्मिलित किया गया है।

तालिका 2.1.2
उदगृहित कर राजस्व का विवरण (₹ करोड़ में)

क्र. सं.	राजस्व प्राप्ति का शीर्ष	2009-10		2010-11		2011-12		2012-13		2013-14		वास्तविक वृद्धि (+) या कमी (-) की प्रतिशतता	
		बजट अनुमान	वास्तविक	बजट अनुमान	वास्तविक	बजट अनुमान	वास्तविक	बजट अनुमान	वास्तविक	बजट अनुमान	वास्तविक	बजट अनुमान 2013-14 के सापेक्ष 2013-14	वास्तविक 2012-13 के सापेक्ष 2013-14
1.	विक्री, व्यापार आदि पर कर	2,220.80	2,246.84	2,586.00	2,940.48	3,187.60	3,643.51	4,088.10	4,289.41	4,847.22	4,902.91	(+) 1.15	(+) 14.30
2.	राज्य आबकारी	598.22	704.64	686.93	755.92	727.67	843.65	942.15	1,117.92	1,149.25	1,269.29	(+) 10.45	(+) 13.54
3.	स्टाम्प एवं निबंधन शुल्क	422.69	398.70	425.65	439.50	483.85	524.05	573.95	648.40	640.40	686.71	(+) 7.23	(+) 5.91
4.	वाहनों, मोटर पर कर	193.09	184.56	225.30	227.26	249.53	334.69	275.00	304.29	320	368.83	(+) 15.26	(+) 21.21
5.	विद्युत पर कर एवं शुल्क	72.00	2.11	72.00	2.16	75.00	229.02	60.00	2.71	100.00	64.66	(-) 35.34	(+) 2,285.98
6.	भू-राजस्व	7.68	8.80	11.73	18.31	13.48	10.18	8.55	10.59	8.15	21.65	(+) 165.64	(+) 104.44
7.	उपयोगी वस्तुओं और सेवाओं पर अन्य कर एवं शुल्क	7.50	6.27	8.68	12.15	10.60	16.52	17.50	23.13	24.41	23.47	(-) 3.85	(+) 1.47
8.	अन्य	6.85	7.12	8.00	9.70	12.00	14.00	15.00	17.80	22.00	17.82	(-) 19.00	(+) 0.11
योग		3,528.83	3,559.04	4,024.29	4,405.48	4,759.73	5,615.62	5,980.25	6,414.25	7,111.43	7,355.34	(+) 3.43	(+) 14.67

स्रोत: वित्त लेखे

सम्बन्धित विभागों ने भिन्नता के निम्नलिखित कारण बताये:

स्टाम्प एवं निबंधन शुल्क: प्राप्तियों में पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि, विक्रय विलेख पत्रों के पंजीयन की संख्या में 2,25,831 (2012-13) से बढ़कर 2,30,816 (2013-14) होने के कारण हुई।

वाहनों पर कर: वर्ष 2012-13 की तुलना में वर्ष 2013-14 में मुख्य शीर्ष "0041" में वास्तविक प्राप्तियों में वृद्धि का कारण मोटरवाहन सुधार नियमावली/अधिनियम, 2003 में सुधार रहा।

विद्युत पर कर एवं शुल्क: पिछले वर्ष की तुलना में विद्युत पर करों एवं शुल्कों में उल्लेखनीय वृद्धि, उत्तराखण्ड पॉवर कॉर्पोरेशन लि द्वारा सरकारी खाते में, पिछले वर्ष के बकाये के जमा करने के कारण हुई। उत्तराखण्ड पॉवर कॉर्पोरेशन लि द्वारा बकाया जमा करने हेतु कोई निश्चित समय नहीं है।

आग्रह किए जाने (सितम्बर, 2014) के बाद भी अन्य विभागों ने, पिछले वर्ष की तुलना में संबन्धित प्राप्तियों में भिन्नता के कारणों को सूचित नहीं किया (अक्टूबर, 2014)।

2.1.3 वर्ष 2009-10 से 2013-14 की अवधि के दौरान उदगृहित करेतर राजस्व का विवरण तालिका 2.1.3 में दर्शाया गया है।

तालिका 2.1.3
उदगृहित करेतर राजस्व का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	राजस्व प्राप्ति शीर्ष	2009-10		2010-11		2011-12		2012-13		2013-14		वास्तविक वृद्धि (+) या कमी (-) की प्रतिशतता	
		बजट अनुमान	वास्तविक	बजट अनुमान	वास्तविक	बजट अनुमान	वास्तविक	बजट अनुमान	वास्तविक	बजट अनुमान	वास्तविक	बजट अनुमान 2012-13 के सापेक्ष 2013-14	वास्तविक 2012-13 के सापेक्ष 2013-14
1.	ऊर्जा	220.74	56.13	230.00	13.54	235.00	41.24	84.00	150.04	122.55	121.11	(-) 1.18	(-) 19.28
2.	ब्याज प्राप्ति	54.28	53.71	62.00	53.76	52.01	50.62	35.00	114.76	44.83	51.12	(+) 14.03	(-) 55.45
3.	वानिकी एवं वन्य जीव	219.27	235.70	266.10	229.69	286.83	234.26	296.71	238.20	309.34	362.70	(+) 17.25	(+) 52.27
4.	लोक निर्माण	10.46	19.50	14.51	24.83	17.27	17.85	16.16	18.13	9.15	15.51	(+) 69.51	(-) 14.45
5.	विविध सामान्य सेवायें	33.09	14.41	22.00	28.23	14.00	37.57	11.00	25.85	3.55	48.74	(+) 1,272.96	(+) 88.55
6.	अन्य प्रशासनिक सेवायें	24.86	21.18	10.12	47.15	12.21	70.15	11.82	38.72	3.73	32.38	(+) 768.10	(-) 16.37
7.	पुलिस	6.92	9.62	9.00	11.26	9.00	11.41	10.11	10.98	11.21	13.39	(+) 19.45	(+) 21.95
8.	चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य	7.57	11.73	11.48	29.01	17.93	23.20	23.16	30.00	22.10	44.04	(+) 99.28	(+) 46.80
9.	सहकारिता	7.32	1.78	5.18	1.70	1.02	2.93	2.21	1.38	2.23	9.78	(+) 338.57	(+) 608.70
10.	वृहद एवं मध्यम सिंचाई	6.31	7.08	3.32	5.10	3.31	8.07	2.37	7.65	2.42	6.75	(+) 178.93	(-) 11.76
11.	अन्य करेतर प्राप्ति	837.87	202.92	481.29	233.79	998.53	638.83	715.63	967.17	685.15	611.02	(-) 10.82	(-) 36.82
योग		1,428.69	633.76	1,115.00	678.06	1,647.11	1,136.13	1,208.17	1,602.88	1,216.26	1,316.54	(+) 8.25	(-) 17.86

स्रोत: वित्त लेखे

पिछले वर्ष की तुलना में चालू वर्ष के दौरान करेतर राजस्व में 17.86 प्रतिशत की कमी का मुख्य कारण 'पेंशन एवं अन्य सेवानिवृत्ति लाभों हेतु योगदान एवं वसूलियाँ' तथा 'ब्याज प्राप्ति' में कमी रही।

लोक निर्माण विभाग ने बताया (अक्टूबर, 2014) कि वर्ष 2012-13 की तुलना में वर्ष 2013-14 में राजस्व वसूली में कमी का कारण वर्ष 2012-13 के पश्चात् विभाग के दो पुलों पर पथकर की वसूली का बन्द होना था।

आग्रह किए जाने (सितम्बर, 2014) के बाद भी, अन्य विभागों ने पिछले वर्ष की तुलना में प्राप्ति में भिन्नता के कारणों को सूचित नहीं किया (दिसम्बर, 2014)।

2.1.4 राजस्व बकायों का विश्लेषण

मुख्य राजस्व शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च, 2014 को ₹ 4,470.44 करोड़ के राजस्व बकायों में से ₹ 589.98 करोड़ पाँच वर्षों से अधिक समय से बकाया थे, जैसा कि तालिका 2.1.4 में वर्णित है।

तालिका 2.1.4

राजस्व बकाया

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	राजस्व शीर्ष	31 मार्च 2014 को कुल बकाये की राशि	31 मार्च 2014 को 5 वर्षों से अधिक बकाये की राशि	विभाग के उत्तर
1.	बिक्री, व्यापार आदि पर कर/मूल्यवर्धित कर	4,026.94	579.25	₹ 178.96 करोड़ (1,501 मामलों) की वसूली न्यायालय में विचाराधीन है। शेष ₹ 3,847.98 करोड़ के वसूली प्रमाणपत्र, जहाँ आवश्यक थे जारी किये जा चुके हैं।
2.	विद्युत पर कर एवं शुल्क	421.78	-	विभाग ने बताया कि इस सम्बन्ध में उत्तराखण्ड पावर कॉर्पोरेशन लि से नियमित पत्राचार किया जा रहा है।
3.	सहकारिता	9.51	8.67	वसूली हेतु मांग की कार्यवाही जिला स्तर अधिकारी के माध्यम से प्रक्रिया में लायी जा चुकी है।
4.	स्टाम्प एवं निबंधन शुल्क	6.29	0.52	₹ 5.42 करोड़ की वसूली न्यायालय में विचाराधीन है एवं शेष प्रकरणों के लिये, वसूली हेतु मांग की प्रक्रिया जारी है।
5.	वाहनों पर कर	4.87	0.94	दस प्रकरण (₹ 0.11 करोड़) न्यायालय में विचाराधीन थे एवं शेष प्रकरणों के लिये, वसूली की मांग जिलाधिकारी के माध्यम से प्रक्रिया में है।
6.	राज्य आबकारी	0.60	0.60	₹ 0.25 करोड़ की धनराशि के दो प्रकरण न्यायालय में लम्बित हैं। अन्य प्रकरणों में, धनराशि (₹ 0.36 करोड़) की वसूली के लिए कार्यवाही की जा रही है।
7.	गन्ना क्रय पर कर	0.36	-	गन्ना क्रय पर कर, चीनी मिल से चीनी की बोरियों की निकासी के समय नियमित रूप से जमा किया जा रहा है।
8.	मनोरंजन कर	0.09	0.004	₹ 0.05 करोड़ के प्रकरण न्यायालय में लम्बित हैं। शेष प्रकरणों में वसूली प्रमाण पत्र जारी किये जा चुके हैं।
योग		4,470.44	589.98	

स्रोत: सम्बन्धित विभाग

2.1.5 निर्धारणों का बकाया

वर्ष के प्रारम्भ में लम्बित प्रकरणों, कर निर्धारण योग्य प्रकरणों, वर्ष के दौरान निस्तारित प्रकरणों एवं वर्ष के अन्त में अन्तिमीकरण हेतु लम्बित प्रकरणों की संख्या का विवरण जैसा कि बिक्री कर के सम्बन्ध में वाणिज्य कर विभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया है, तालिका 2.1.5 में दिया गया है।

तालिका 2.1.5
बकाया कर निर्धारण

राजस्व शीर्ष	प्रारम्भिक अवशेष	वर्ष 2013-14 के दौरान कर निर्धारण योग्य नये प्रकरण	कुल कर निर्धारण योग्य प्रकरण	वर्ष 2013-14 के दौरान निस्तारित मामले	वर्ष के अन्त में अवशेष	निस्तारण की प्रतिशतता (स्तम्भ 5 से 4)
1	2	3	4	5	6	7
बिक्री, व्यापार आदि पर कर/मूल्यवर्धित कर	1,26,848	1,23,224	2,50,072	1,41,455	1,08,617	56.57%

स्रोत: वाणिज्य कर विभाग द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना

विभाग को कर निर्धारण प्रकरणों के त्वरित निस्तारण हेतु अधिक प्रयास करने चाहिए।

2.1.6 विभाग द्वारा पकड़े गये करापवंचन

वाणिज्य कर विभाग द्वारा पकड़े गये करापवंचन के मामले, निस्तारित मामले तथा वर्ष 2013-14 में उदगृहित अतिरिक्त कर की मांग का विवरण, जैसा कि विभाग द्वारा सूचित किया गया, तालिका 2.1.6 में दर्शाया गया है।

तालिका 2.1.6
करापवंचन

(₹ करोड़ में)

राजस्व शीर्ष	31 मार्च 2013 को लंबित प्रकरणों की संख्या	वर्ष 2013-14 के दौरान पकड़े गये मामले	योग	मामलों की संख्या जिसमें कर निर्धारण/जांच पूरा होने पर अर्थदण्ड सहित अतिरिक्त मांग की गई		31 मार्च 2014 को लंबित प्रकरणों की संख्या
				मामलों की संख्या	मांग की राशि	
बिक्री, व्यापार आदि पर कर/मूल्यवर्धित कर	215	1,119	1,334	1,118	228.80	216

विभाग द्वारा, मांग की गई राशि के विरुद्ध, वसूल की गई राशि को सूचित नहीं किया गया था (अक्टूबर 2014)।

2.1.7 कर वापसी के मामले

वर्ष 2013-14 के प्रारम्भ में लंबित कर वापसी के लंबित मामलों की संख्या, वर्ष के दौरान प्राप्त दावे, वर्ष के दौरान स्वीकार वापसी एवं वर्ष 2013-14 के अन्त में लम्बित मामले, जैसा कि वाणिज्य कर विभाग द्वारा सूचित किया गया, तालिका 2.1.7 में दर्शाए गए हैं।

तालिका 2.1.7
कर वापसी मामलों का विवरण

(₹ लाख में)

क्र. सं.	विवरण	अधिनियम	
		बिक्री कर/मूल्य वर्धित कर मामलों की संख्या	धनराशि
1.	वर्ष के आरम्भ में बकाया दावे	1,255	1,079.15
2.	वर्ष के दौरान प्राप्त दावे	6,147	7,661.50
3.	वर्ष के दौरान की गई वापसी	6,667	6,729.12
4.	वर्ष के अन्त में बकाया शेष	735	2,011.53

स्रोत: सम्बन्धित राज्य विभाग

2.1.8 लेखापरीक्षा के प्रति विभागों/सरकार की प्रतिक्रिया

महालेखाकार (लेखापरीक्षा), उत्तराखण्ड निर्धारित नियमों एवं प्रक्रियाओं के अनुसार, लेन-देनों की नमूना जांच तथा महत्वपूर्ण लेखाओं एवं अन्य अभिलेखों के अनुरक्षण को सत्यापित करने हेतु सम्बद्ध सरकारी विभागों का आवधिक निरीक्षण सम्पादित करते हैं। इन निरीक्षणों के आधार पर निरीक्षण प्रतिवेदन (नि प्र) तैयार किये जाते हैं, जिसमें निरीक्षण के समय पायी गयी तथा स्थल पर ही निस्तारित न की गई, अनियमितताएँ सम्मिलित होती हैं, जो निरीक्षित कार्यालयों के प्रमुखों को निर्गत की जाती हैं एवं उसकी प्रतियाँ अगले उच्च प्राधिकारियों को शीघ्र सुधार की कार्यवाई हेतु भेजी जाती हैं। कार्यालय प्रमुखों/सरकार से अपेक्षा की जाती है कि नि प्र में सम्मिलित टिप्पणियों का अनुपालन शीघ्रता से सुनिश्चित करके त्रुटियों एवं चूकों का सुधार समुचित रूप से करे एवं अनुपालन आख्या म ले को निरीक्षण प्रतिवेदन जारी होने के एक माह के अन्दर भेजे। गम्भीर वित्तीय अनियमितताएं लेखापरीक्षा प्रस्तर के माध्यम से विभागाध्यक्षों/सरकार के संज्ञान में लायी जाती हैं।

जून, 2014 तक निर्गत निरीक्षण आख्याओं में देखा गया कि 891 निरीक्षण आख्याओं से सम्बन्धित ₹ 173.54 करोड़ के 1,944 प्रस्तर, जो जून, 2014 तक बकाया थे तथा इनके साथ पूर्ववर्ती दो वर्षों के तदनुसूची आँकड़े तालिका 2.1.8 में दर्शाये गये हैं।

तालिका 2.1.8
बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों का विवरण

	जून 2012*	जून 2013	जून 2014
निस्तारण हेतु लम्बित निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या	851	919	891
बकाया लेखापरीक्षा टिप्पणियों की संख्या	1,797	1,936	1,944
अन्तर्निहित राजस्व की धनराशि (₹ करोड़ में)	151.30	178.58	173.54

*विद्युत शुल्क, भू-राजस्व, विभागीय प्राप्ति एवं न्यायालय शुल्क से सम्बन्धित बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों, प्रस्तरों एवं धनराशि को दूसरे खण्डों में स्थानान्तरित कर दिया गया, अतः जून, 2012 में शामिल नहीं थी।

2.1.8.1 30 जून, 2014 को विभागवार बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों व लेखापरीक्षा टिप्पणियों एवं अन्तर्निहित धनराशि का विवरण तालिका 2.1.9 में दर्शाया गया है।

तालिका 2.1.9
विभागवार बकाया निरीक्षण प्रतिवेदन (₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विभाग का नाम	प्राप्ति की प्रकृति	बकाया प्रतिवेदनों की संख्या	बकाया लेखापरीक्षा टिप्पणियों की संख्या	अन्तर्निहित धनराशि
1.	वित्त	बिक्री, व्यापार आदि पर कर एवं सुख-साधन कर	417	1,085	97.59
		मनोरंजन कर	8	14	0.14
2.	आबकारी	राज्य आबकारी	71	120	29.60
3.	परिवहन	मोटरयानों पर कर	108	287	35.10
4.	स्टाम्प एवं निबंधन	स्टाम्प एवं निबंधन शुल्क	287	438	11.11
योग			891	1,944	173.54

जून 2013 से जून 2014 तक निर्गत 52 निरीक्षण प्रतिवेदनों के सम्बन्ध में लेखापरीक्षा को निर्धारित समय के अन्दर कार्यालय प्रमुखों के प्रथम उत्तर भी प्राप्त नहीं हुए। उत्तर प्राप्त न होने के कारण निरीक्षण प्रतिवेदनों का बड़ी मात्रा में बकाया रहना इंगित करता है कि कार्यालयाध्यक्षों और विभागाध्यक्षों द्वारा नि प्र में महालेखाकार द्वारा दर्शायी गयी कमियों, चूकों एवं अनियमितताओं को दूर करने हेतु त्वरित कार्यवाही नहीं की गई थी।

सरकार लेखापरीक्षा टिप्पणियों पर शीघ्र एवं उचित प्रतिक्रिया हेतु एक प्रभावी प्रणाली स्थापित करने पर विचार कर सकती है।

2.1.8.2 विभागीय लेखापरीक्षा समिति की बैठकें

सरकार ने नि प्र में प्रस्तरों एवं नि प्र के निस्तारण की प्रगति की निगरानी एवं शीघ्र निबटारे हेतु लेखापरीक्षा समिति गठित की है। वर्ष 2013-14 के दौरान आयोजित लेखापरीक्षा समिति की बैठकों एवं निस्तारित प्रस्तरों का विवरण तालिका 2.1.10 में दर्शाया गया है।

तालिका 2.1.10
विभागीय लेखापरीक्षा समिति की बैठकों का विवरण (₹ करोड़ में)

क्र. सं.	राजस्व शीर्ष	आयोजित की गई बैठकों की संख्या	निस्तारित प्रस्तरों की संख्या	धनराशि
1.	मनोरंजन कर विभाग	2	51	10.77
2.	राज्य आबकारी विभाग	1	13	2.91
योग		3	64	13.68

2.1.8.3 प्रलेख लेखापरीक्षा प्रस्तरों के सम्बन्ध में विभाग का उत्तर

प्रलेख लेखापरीक्षा प्रस्तर को भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन में शामिल करने हेतु प्रस्तावित किया जाता है, जिन्हें सम्बन्धित विभाग के सचिव को उनका ध्यान लेखापरीक्षा आपत्तियों की ओर आकर्षित करते हुये उनके उत्तर छः सप्ताह के भीतर भेजने के निवेदन के साथ अग्रसारित किया जाता है। विभाग/शासन से उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में इस तथ्य को लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के ऐसे प्रस्तरों के अन्त में नित्य उल्लिखित कर दिया जाता है।

दो² निष्पादन लेखापरीक्षाओं एवं चार³ प्रलेख प्रस्तरों को मार्च 2014 से सितम्बर 2014 के मध्य सम्बन्धित विभागों के प्रमुख सचिवों/सचिवों को नाम से प्रेषित किया गया था। निष्पादन लेखापरीक्षाओं हेतु समापन सम्मेलन सम्बन्धित विभागों के प्रमुख सचिवों/सचिवों के साथ किया गया तथा शासन के उत्तर को निष्पादन लेखापरीक्षाओं में उपयुक्त स्थान पर शामिल किये गये हैं। प्रलेख प्रस्तरों के मामले में, प्रकरण शासन को सूचित किये गये थे। उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (दिसम्बर 2014) तथा उसे शासन की प्रतिक्रिया के बिना इस प्रतिवेदन में शामिल किया गया है। तथापि इन प्रलेख प्रस्तरों के सम्बन्ध में सम्बन्धित लेखापरीक्षिणी इकाईयों की प्रतिक्रिया प्राप्त हो गई है तथा इन्हें उचित प्रकार से प्रस्तरों में शामिल कर लिया गया है।

2.1.8.4 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर विभाग का प्रत्युत्तर- संक्षिप्त स्थिति

लोक लेखा समिति, जिसे दिसम्बर, 2002 में अधिसूचित किया गया, की आन्तरिक कार्यप्रणाली के अनुसार भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन को विधान सभा के पटल पर प्रस्तुत किये जाने पर विभाग लेखापरीक्षा प्रस्तरों पर कार्यवाही प्रारम्भ करते हैं तथा उस पर शासन द्वारा कृत कार्यवाही/व्याख्यात्मक टिप्पणी को प्रतिवेदन के पटल पर रखने के तीन माह के भीतर समिति के विचारार्थ प्रस्तुत किया जाता है। इन प्रावधानों के बावजूद, प्रतिवेदनों के लेखापरीक्षा प्रस्तरों पर व्याख्यात्मक टिप्पणियों को असाधारण विलम्ब से प्रस्तुत किया जाता रहा है। वर्ष 2008-09 से 2011-12 तक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित बीस प्रस्तरों (निष्पादन लेखापरीक्षा सहित) को, 2009 से 2013 तक के वर्षों में राज्य विधान सभा के समक्ष प्रस्तुत किया गया। लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के प्रत्येक मामले में इन प्रस्तरों पर सम्बन्धित विभाग से कृत कार्यवाही की व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ औसतन 25 माह के विलम्ब से प्राप्त हुई थीं। 31 मार्च 2012 को समाप्त हुए वर्ष के लिए लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के लिए चार⁴ विभागों से 7 प्रस्तरों के सम्बन्ध में कृत कार्यवाही की व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ प्राप्त नहीं हुई (अक्टूबर, 2014)। वर्ष 2012-13 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन को विधानसभा के समक्ष 27 नवम्बर, 2014 को प्रस्तुत किया गया तथा कृत कार्यवाही की व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ अभी तक प्राप्य नहीं हैं (दिसम्बर, 2014)।

लोक लेखा समिति में वर्ष 2008 से 2012 तक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों से सम्बन्धित छः चयनित प्रस्तरों को विवेचित किया गया था। तथापि, सम्बन्धित विभाग से लोक लेखा समिति की 1 अनुशंसा पर कृत कार्यवाही की टिप्पणियाँ अभी तक प्राप्त नहीं हुई हैं, जैसा कि तालिका 2.1.11 में दर्शाया गया है।

² "मोटरवाहन कर पर करों का उद्ग्रहण एवं संग्रहण" (समापन सम्मेलन- 12 नवम्बर 2014) एवं "उपखनिज की राजस्व प्राप्ति" (समापन सम्मेलन- 20 नवम्बर 2014)।

³ 03 वाणिज्य कर विभाग तथा 01 स्टाम्प एवं निबंधन विभाग।

⁴ वाणिज्य कर विभाग, मोटरवाहन विभाग, स्टाम्प एवं पंजीकरण विभाग तथा राज्य आबकारी विभाग।

तालिका 2.1.11

वर्ष	विभाग का नाम	प्रस्तर विवरण	योग	अभ्युक्तियाँ
2010-11	मोटरवाहन विभाग	5.2 "मोटरवाहन विभाग में कम्प्यूटरीकरण" पर निष्पादन लेखापरीक्षा (5.2.30 औद्योगिक बसों पर अतिरिक्त कर का अनारोपण)	1	दिनांक 24.02.2014 को निस्तारित, लेकिन लोक लेखा समिति की एक अनुशंसा के सम्बन्ध में कृत कार्रवाई की टिप्पणी प्राप्त नहीं हुई है।

2.1.9 लेखापरीक्षा द्वारा उठाये गये मुद्दों का निपटारा करने वाले तन्त्र का विश्लेषण

विभागों/शासन द्वारा निरीक्षण प्रतिवेदनों/लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में मुख्य मुद्दों को सम्बोधित करने की प्रणाली का विश्लेषण करने हेतु, वाणिज्य कर विभाग से सम्बन्धित विगत पाँच वर्षों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में सम्मिलित प्रस्तरों एवं निष्पादन लेखापरीक्षा पर कृत कार्रवाई का मूल्यांकन किया गया तथा इसे लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में सम्मिलित किया गया है।

अनुवर्ती प्रस्तर 2.1.9.1 में राजस्व शीर्ष "0040" के अन्तर्गत वाणिज्य कर विभाग का निष्पादन तथा विगत पाँच वर्षों में स्थानीय लेखापरीक्षा के दौरान पकड़े गये मामले एवं 2009-10 से 2013-14 तक के वर्षों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित मामले भी विवेचित किये गये हैं।

2.1.9.1 निरीक्षण प्रतिवेदनों की स्थिति

विगत पाँच वर्षों में जारी वाणिज्य कर विभाग सम्बन्धी निरीक्षण प्रतिवेदनों का संक्षिप्त विवरण, प्रतिवेदनों में सम्मिलित प्रस्तरों एवं उनकी 31 मार्च, 2014 की स्थिति तालिका 2.1.12 में दर्शायी गयी है।

तालिका 2.1.12

निरीक्षण प्रतिवेदनों की स्थिति

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष			वर्ष के दौरान वृद्धि			वर्ष के दौरान निस्तारण			वर्ष के दौरान अन्तिम अवशेष		
		निरीक्षण प्रतिवेदन	प्रस्तर	धनराशि	निरीक्षण प्रतिवेदन	प्रस्तर	धनराशि	निरीक्षण प्रतिवेदन	प्रस्तर	धनराशि	निरीक्षण प्रतिवेदन	प्रस्तर	धनराशि
1.	2009-10	274	694	38.61	44	105	12.04	6	48	0.64	312	751	50.01
2.	2010-11	312	751	50.01	54	158	89.37	6	32	0.70	360	877	138.68
3.	2011-12	360	877	138.68	54	192	8.56	12	46	65.94	402	1,023	81.30
4.	2012-13	402	1,023	81.30	37	151	23.79	27	78	11.20	412	1,096	93.89
5.	2013-14	412	1,096	93.89	35	140	21.26	36	156	10.38	411	1,080	104.77

शासन पुराने प्रस्तरों के निस्तारण हेतु विभाग एवं महालेखाकार कार्यालय के साथ तदर्थ समिति की बैठकों का आयोजन करता है। वर्ष 2009-10 के प्रारम्भ में 274 निरीक्षण प्रतिवेदनों के सापेक्ष 694 बकाया प्रस्तरों की संख्या, वर्ष 2013-14 के अन्त में बढ़कर 411 प्रतिवेदनों के सापेक्ष 1,080 प्रस्तर हो गयी थी, जबकि 2009-14 की अवधि में मात्र 360 प्रस्तरों का निस्तारण किया गया।

2.1.10 विभाग/शासन द्वारा स्वीकार की गयी अनुशंसाओं पर कृत कार्यवाही

महालेखाकार द्वारा संचालित निष्पादन लेखापरीक्षाओं को सम्बन्धित विभाग/शासन को उनके उत्तर प्रस्तुत करने के अनुरोध के साथ सूचनार्थ अग्रेषित किया जाता है। इनकी समापन सम्मेलन में भी चर्चा की जाती है तथा लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों हेतु समीक्षा को अन्तिम रूप देते समय विभाग/शासन की राय को सम्मिलित किया जाता है।

वाणिज्य कर विभाग पर चार निष्पादन लेखापरीक्षा (नि ले) तथा परिवहन विभाग पर एक नि ले को विगत चार वर्षों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में सम्मिलित किया गया है। नि ले में कुल 39 अनुशंसाओं को शासन के विचारार्थ प्रस्तुत किया गया है। अनुशंसाओं पर कृत कार्यवाही टिप्पणी का विवरण तालिका 2.1.13 में दर्शाया गया है।

तालिका 2.1.13

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन वर्ष	निष्पादन लेखापरीक्षा का नाम	अनुशंसाओं की संख्या	स्थिति
2008-09	केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत अन्तर्राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के अनुक्रम में संव्यवहारों (क्रय/विक्रय तथा अन्तरण) पर कराधान	05	दिनांक 19.09.2013 को कृत कार्यवाही टिप्पणी प्राप्त। चर्चा हेतु लम्बित।
2009-10	बिक्री कर से मूल्यवर्धित कर के लिये पारगमन	08	दिनांक 07.08.2014 को कृत कार्यवाही टिप्पणी प्राप्त। चर्चा हेतु लम्बित।
2010-11	मोटरवाहन विभाग में कम्प्यूटरीकरण	11	दिनांक 24.02.2014 को निस्तारित।
	अन्तर्राज्यीय व्यापार एवं वाणिज्य में घोषणा प्रपत्रों का प्रतिसत्यापन	08	कृत कार्यवाही टिप्पणी अप्राप्त।
2011-12	मूल्यवर्धित कर का प्रशासन	07	कृत कार्यवाही टिप्पणी अप्राप्त।

2.1.11 लेखापरीक्षा आयोजना

वर्ष 2013-14 के दौरान कुल 242 लेखापरीक्षा योग्य इकाईयों में से 87 इकाईयों की लेखापरीक्षा आयोजना तैयार की गयी थी तथा 80 इकाईयों की लेखापरीक्षा की गयी।

उक्त उल्लिखित अनुपालन लेखापरीक्षा के अतिरिक्त, दो निष्पादन लेखापरीक्षाओं “मोटरवाहन कर पर करों का उद्ग्रहण एवं संग्रहण” तथा “उप खनिजों की राजस्व प्राप्तियाँ” को भी इन प्राप्तियों के कर प्रशासन की क्षमता के निरीक्षण हेतु लिया गया।

2.1.12 लेखापरीक्षा परिणाम

वर्ष के दौरान आयोजित स्थानीय लेखापरीक्षा की स्थिति

वर्ष 2013-14 के दौरान पाँच⁵ विभागों की 80 इकाईयों के अभिलेखों की नमूना जाँच से ज्ञात हुआ कि 192 मामलों में कुल ₹ 25.28 करोड़ का अवनिर्धारण/अल्प आरोपण/राजस्व हानि हुई। वर्ष के दौरान, सम्बन्धित विभाग ने वर्ष 2013-14 के दौरान लेखापरीक्षा में इंगित किये गये 30 प्रकरणों में सम्मिलित ₹ 0.37 करोड़ के अवनिर्धारण एवं अन्य कमियों को स्वीकार किया। विभाग ने वर्ष 2013-14 के दौरान 73 प्रकरणों में ₹ 0.37 करोड़ वसूल किए, जिसमें से चालू वर्ष के लेखापरीक्षा निष्कर्ष से सम्बन्धित पाँच प्रकरणों में ₹ 0.08 करोड़ तथा शेष विगत वर्ष के हैं।

2.1.13 राजस्व अध्याय के विषय

राजस्व अध्याय में दो निष्पादन लेखापरीक्षा “मोटरवाहन कर पर करों का उद्ग्रहण एवं संग्रहण” तथा “उपखनिज की राजस्व प्राप्ति” सहित छः प्रस्तर, जिसका वित्तीय प्रभाव ₹ 52.75 करोड़ है, सम्मिलित है। विभागों/शासन ने पाँच प्रकरणों में ₹ 19.29 करोड़ धनराशि की लेखापरीक्षा आपत्तियों को स्वीकार किया है जिसमें से एक प्रकरण में ₹ 0.60 लाख की वसूली भी की गयी है। शेष प्रकरणों में उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं। इनकी चर्चा अध्याय-11 में की गयी है।

⁵ वाणिज्य कर विभाग, राज्य आबकारी, मोटरवाहन, स्टाम्प एवं निबंधन तथा मनोरंजन कर विभाग।

अनुपालन लेखापरीक्षा

वाणिज्य कर विभाग

2.2 मिथ्या घोषणा प्रपत्रों पर अनियमित कर छूट

एक व्यापारी द्वारा कर के रियायती दर पर अन्तर्राज्यीय बिक्री हेतु तीन मिथ्या प्रपत्र-ग स्वीकार किये जाने के फलस्वरूप ₹ 29.01 लाख के कर का न्यूनारोपण के साथ (₹ एक करोड़) अर्थदण्ड एवं प्रोद्भूत ब्याज की देयता।

केन्द्रीय विक्रय-कर अधिनियम, 1956 की धारा-8(4) में प्रावधान है कि एक पंजीकृत व्यापारी को अन्तर्राज्यीय बिक्रीयों पर रियायती दर से कर देय है यदि ऐसी बिक्री प्रपत्र-ग में घोषणा से समर्थित हो। आगे यदि एक व्यापारी मिथ्या प्रमाणपत्र या घोषणा प्रपत्र जारी या प्रस्तुत करता है, तो उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 58(1)(xxix) के अन्तर्गत वह संबंधित माल की कीमत के चालीस प्रतिशत से अनधिक या ऐसे माल पर आरोपणीय कर की तीन गुना धनराशि, जो भी अधिक हो, अर्थदण्ड का दायी होगा। आगे, उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा-34(4) में यह भी प्रावधान है कि स्वीकृत रूप से देय कर विहित समय के भीतर जमा किया जायेगा, ऐसा करने में विफल होने पर, अदत्त धनराशि पर विहित अन्तिम तारीख के ठीक अगली तारीख से, ऐसी धनराशि के भुगतान की तारीख तक 15 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज देय और भुगतान योग्य होगा।

डिप्टी कमिश्नर (कर निर्धारण)-1 वाणिज्य कर, रुद्रपुर के अभिलेखों की जांच (नवम्बर 2012) एवं (सम्बन्धित राज्य के निर्गम प्राधिकारी से)⁶ कुछ प्रपत्र-ग, जिसे कर के रियायती दर पर अन्तर्राज्यीय व्यापार हेतु उपयोग किया गया, के प्रतिसत्यापन में प्रकट हुआ कि ₹ 2.52 करोड़ धनराशि के तीन⁷ वैधानिक प्रपत्र-ग को प्रपत्र में उल्लिखित राज्य के व्यापार कर विभाग द्वारा निर्गत नहीं किया गया था। तथापि उत्तराखण्ड के विक्रेता व्यापारी ने इन प्रपत्रों पर ₹ 29.01 लाख कर रियायत⁸ का लाभ लिया (दिसम्बर 2011)।

इस प्रकार, मिथ्या प्रमाणपत्र के उपयोग करने के फलस्वरूप न केवल ₹ 29.01 लाख धनराशि के कम कर जमा हुआ, बल्कि इससे व्यापारी उपरलिखित उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के अनुसार ₹ एक करोड़ के अर्थदण्ड के अतिरिक्त कर के अदत्त धनराशि पर ऐसी धनराशि के भुगतान की तारीख तक प्रोद्भूत ब्याज का भी दायी होगा।

प्रकरण विभाग/शासन को सूचित किया गया (जुलाई-अगस्त 2013)। विभाग ने तथ्यों को स्वीकार करते हुए व्यापारी का पुनर्करनिर्धारण किया (नवम्बर/दिसम्बर 2013) तथा ₹ 100.91 लाख अर्थदण्ड सहित ₹ 129.92 लाख धनराशि की मांग को सृजित किया। शासन का उत्तर अभी तक प्रतीक्षित है (दिसम्बर 2014)।

2.3 मूल्यवर्धित कर की गलत दर लागू करने के कारण कर का न्यूनारोपण

कर निर्धारण प्राधिकारी द्वारा कर की गलत दर लागू करने के फलस्वरूप ₹ 16.32 लाख कर का न्यूनारोपण हुआ।

उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा-4(2)(ख) में प्रावधान है कि अनुसूची-1(क) में विनिर्दिष्ट माल के सम्बन्ध में एक प्रतिशत की दर से, अनुसूची-1(ख) में विनिर्दिष्ट माल के सम्बन्ध में चार प्रतिशत की दर

⁶ कार्यालय मूल्यवर्धित कर अधिकारी (वार्ड-73), व्यापार एवं कर विभाग, नई दिल्ली।

⁷ सं. 14 पी 834222 (₹ 80,07,248), सं. 14 पी 393863 (₹ 1,12,10,942) एवं सं. 14 पी 393869 (₹ 60,08,818)।

⁸ उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर की दर से देय 12.5 प्रतिशत में से 11.5 प्रतिशत की दर से।

से, अनुसूची-11(ग) में विनिर्दिष्ट माल के सम्बन्ध में उसमें विनिर्दिष्ट दर से तथा किसी भी अनुसूची में विनिर्दिष्ट नहीं अर्थात् अवर्गीकृत वस्तु के सम्बन्ध में 12.5 प्रतिशत की दर से कर देय होगा। आगे धारा-4(5)(क) में प्रावधान है कि प्रत्येक व्यापारी, विहित रीति द्वारा अवधारित, अपने शुद्ध आवर्त पर किसी माल के किसी प्रयोजनार्थ (चाहे किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिये हो या न हो) उपयोग करने के अधिकार के अन्तरण के सम्बन्ध में चार प्रतिशत की दर से कर का भुगतान करेगा।

डिप्टी कमिश्नर (क नि)-V, देहरादून के अभिलेखों की जांच (अप्रैल 2013) में पाया गया कि कर निर्धारण प्राधिकारी ने एक व्यापारी⁹ के वर्ष 2008-09 के कर निर्धारण को अन्तिम रूप देते समय अनुसूची-11(ख) में विनिर्दिष्ट माल पर लागू दर से ₹ 1.92 करोड़ की पुट्टी की बिक्री पर चार प्रतिशत की दर से कर आरोपित किया, जबकि पुट्टी की बिक्री पर अवर्गीकृत माल की बिक्री होने के कारण 12.5 प्रतिशत की दर से कर आरोपित किये जाने की आवश्यकता थी। इस प्रकार, पुट्टी की बिक्री के सम्बन्ध में कर की गलत दर लागू करने के फलस्वरूप 8.5 प्रतिशत की अन्तरीय दर से ₹ 16.32 लाख के कर का न्यूनारोपण हुआ।

प्रकरण विभाग/शासन को सन्दर्भित किया गया (मई, 2013/जुलाई, 2013)। विभाग ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार करते हुये मामले का पुनर्निर्धारण किया (मार्च 2014) तथा ₹ 16.32 लाख की अतिरिक्त मांग को सृजित किया। शासन का उत्तर अभी तक प्रतीक्षित है (दिसम्बर 2014)।

2.4 घोषणा प्रपत्र का अनधिकृत उपयोग

मान्यता प्रमाणपत्र की प्रभावी तिथि के पूर्व के संव्यवहार हेतु प्रपत्र XI की अनधिकृत घोषणा के उपयोग किये जाने के परिणामस्वरूप ₹ 8.62 लाख राजस्व की हानि तथा ₹ 55.68 लाख अर्थदण्ड का अनारोपण हुआ।

उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम, 2005 के नियम 23(1) में प्रावधान है कि यदि मान्यता प्रमाणपत्र धारक कोई व्यापारी किसी माल के विनिर्माण के प्रयोजन से पूंजीगत माल और कच्चे माल के रूप में प्रयोग के लिये धारा 4 की उपधारा (7) के खण्ड (क) में निर्दिष्ट कोई माल खरीदे तो वह, यदि उसमें रियायत लेना चाहे तो, विक्रेता व्यापारी को प्रारूप XI में एक घोषणापत्र (जिसे आगे घोषणा का प्रपत्र कहा गया है) देगा।

आगे उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 58(1)(xxix) में प्रावधान है कि यदि कोई व्यापारी झूठा या गलत घोषणापत्र या प्रमाणपत्र जारी करता है या देता है जिसके कारण इस अधिनियम के अन्तर्गत विक्रय या क्रय पर कर न लग सके, तो वह अर्थदण्ड के रूप में अन्तर्ग्रस्त माल की कीमत के चालीस प्रतिशत से अनधिक धनराशि या इस अधिनियम के किन्हीं उपबन्धों के अधीन ऐसे माल पर आरोपणीय कर की तीन गुना धनराशि, जो भी अधिक हो, भुगतान करने का दायी होगा। इस अधिनियम की धारा 63 में प्रावधान है कि इस अधिनियम में अन्यत्र दी गयी किसी प्रतिकूल बात के होते हुये भी, और धारा 58 के उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, जो व्यक्ति इस अधिनियम या इसके अधीन बनाये गये नियमों के किसी उपबन्ध के अधीन विहित कोई ऐसा मिथ्या या गलत प्रमाणपत्र या घोषणा प्रपत्र किसी अन्य व्यक्ति को जारी करे, जिसके कारण ऐसे अन्य व्यक्ति के साथ या उसके द्वारा किये गये क्रय या विक्रय के संव्यवहार पर इस अधिनियम के अधीन कोई कर आरोपणीय नहीं रह जाता है, या रियायती दर पर आरोपणीय हो जाता है तो वह ऐसे संव्यवहार पर ऐसी धनराशि का दायी होगा जो ऐसे संव्यवहार पर देय होती, यदि ऐसा प्रमाणपत्र या घोषणापत्र जारी न किया गया होता।

⁹ मेसर्स- कंसाई नेरोलेक पेन्ट्स लि, देहरादून।

डिप्टी कमिश्नर, विकासनगर के अभिलेखों की जांच (नवम्बर, 2013) में पाया गया कि क्रेता¹⁰ का मान्यता प्रमाणपत्र (वी एन 00971) दिनांक 26 दिसम्बर 2009 से प्रभावी था। वर्ष 2008-09 के कर निर्धारण में पाया गया कि क्रेता व्यापारी ने रियायती प्रपत्र XI के विरुद्ध ₹ 1,42,00,033 (कर रहित क्रय किये गये माल का मूल्य ₹ 1,39,18,971) मूल्य का माल¹¹ विक्रेता व्यापारी¹² से क्रय किया। विक्रेता ने मान्यता प्रमाणपत्र की प्रभावी तिथि के पूर्व कर में रियायत का लाभ लिया। विक्रेता व्यापारी के अभिलेखों के प्रतिसत्यापन में भी पाया गया कि क्रेता ने माल के क्रय हेतु विक्रेता को 33 प्रपत्र XI जारी किये। इस प्रकार क्रेता ने विक्रेता को अनधिकृत प्रपत्र XI प्रस्तुत किया तथा विक्रेता ने माल पर रियायती दर से कर का लाभ लिया। रियायती दर से मूल्यवर्धित कर में अनियमित छूट के परिणामस्वरूप ₹ 8.62 लाख के राजस्व की हानि एवं ₹ 55.68 लाख¹³ अर्थदण्ड का अनारोपण रहा।

इसे इंगित किये जाने पर विभाग ने बताया (नवम्बर, 2013) कि धारा 63 के स्पष्टीकरण में उल्लेख किया गया है कि यदि यह पाया जाय कि कोई व्यक्ति मिथ्या या गलत प्रमाणपत्र जारी करता है, तो वह उस धनराशि के भुगतान का दायी होगा जो बिना प्रपत्र के देय होता तथा यह भी उल्लेख किया गया है कि यदि प्रमाणपत्र या घोषणापत्र जारी करने वाला व्यक्ति उसमें अपना यह अभिप्राय प्रकट करे कि वह अपने द्वारा क्रय किये गये माल का उपयोग ऐसे प्रयोजन के लिये करेगा, जिसमें कोई कर देय न होगा या रियायती दर पर देय होगा, किन्तु उसका उपयोग ऐसे प्रयोजन से भिन्न प्रयोजन के लिये करे, तो प्रमाणपत्र या घोषणापत्र को इस धारा के प्रयोजन के लिये गलत समझा जायेगा तथा कोई धनराशि देय नहीं होगा। धारा 58(1)(xxix) के अन्तर्गत जहाँ तक अर्थदण्ड के आरोपण का सम्बन्ध है, उपयुक्त कार्यवाही की जायेगी तथा लेखापरीक्षा को अवगत कराया जायेगा।

उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम की धारा 63 के सम्बन्ध में विभाग का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि व्यापारी संव्यवहार अवधि के दौरान मान्यता प्रमाणपत्र धारक नहीं था तथा उसके अनुसार पूर्ण दर पर कर आरोपणीय था। अधिनियम की धारा 63 एवं 58 में दिये गये प्रावधानों के अनुसार क्रेता न केवल ₹ 8.62 लाख कर के भुगतान का दायी है बल्कि ₹ 55.68 लाख अर्थदण्ड भी आरोपणीय है।

प्रकरण शासन को सन्दर्भित किया गया (फरवरी, 2014)। उत्तर प्रतीक्षित है (दिसम्बर, 2014)।

स्टाम्प एवं पंजीकरण विभाग

2.5 स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण शुल्क का न्यूनारोपण

सम्पत्ति का मूल्यांकन भारतीय स्टाम्प अधिनियम एवं क्षेत्र में लागू सर्किल दर के अनुसार नहीं किये जाने के परिणामस्वरूप ₹ 2.93 लाख स्टाम्प शुल्क तथा ₹ 0.60 लाख पंजीकरण शुल्क का न्यूनारोपण हुआ।

भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 की धारा-5¹⁴ के प्रावधानों के अनुसार, कई अलग-अलग मामलों का समावेश करने वाले या कई अलग-अलग मामलों से सम्बन्धित विलेख पर, शुल्कों की वह सम्पूर्ण राशि प्रभार्य होगी जो

¹⁰ कॉपरनिकस इण्डिया, ए-4, इण्डस्ट्रियल एरिया, सेलाकुई, देहरादून।

¹¹ ब्रेजिंग रोड, सर्विस वॉल्व एवं कच्चा माल।

¹² ई-एप्लायन्सेस, ए-4 इण्डस्ट्रियल एरिया, सेलाकुई, देहरादून।

¹³ कर रहित क्रय किये गये माल की कीमत पर 40 प्रतिशत की दर से अर्थदण्ड = ₹ 1,39,18,971 x 40/100 = ₹ 55.68 लाख।

¹⁴ नियम के नीचे दिये गये टिप्पणी/उदाहरण (IX) पढ़ें।

प्रत्येक मामले के, जो उसमें समाविष्ट हैं, या जिससे वह सम्बन्धित है, अलग विलेख पर इस अधिनियम के अधीन प्रभार्य होती। पुनः जिला कलेक्टर, ऊधमसिंह नगर द्वारा निर्गत दर सूची/सर्किल दर (दिनांक 1 अप्रैल 2012 से प्रभावी) में दिये गये निर्देश के अनुसार 50 वर्गमीटर से अधिक किन्तु 1,000 वर्गमीटर से कम की कृषि भूमि की बिक्री को आवासीय भूमि की बिक्री माना जायेगा तथा सम्पत्ति के मूल्यांकन हेतु सम्बन्धित क्षेत्र की आवासीय सम्पत्ति के लिये निर्धारित प्रति वर्गमीटर की दर लागू की जायेगी।

उपनिबन्धक, सितारगंज के अभिलेखों की जांच (जून 2013) में पाया गया कि एक सम्पत्ति के कई संयुक्त एवं अलग-अलग स्वामियों ने 9.484 हेक्टेयर कृषि भूमि की प्रति ₹10,000 से ₹40,000 की दर से पंजीकरण शुल्क अदा करके चार निष्पादित विलेख पत्रों (अप्रैल 2012) के माध्यम से बिक्री की।

लेखापरीक्षा जांच (जून 2013) में पाया गया कि इन विलेख पत्रों पर लागू¹⁵ स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण शुल्क 1,000 वर्गमीटर से अधिक संयुक्त कृषि भूमि के हस्तान्तरण की भांति प्रभारित किया गया था, जबकि प्रत्येक पंजीकृत विलेख पत्र में 1,000 वर्ग मीटर से कम क्षेत्रफल¹⁶ की कुछ व्यक्तिगत सम्पत्ति की बिक्री शामिल थी (संयुक्त सम्पत्ति के रूप में बिक्री का कुछ भाग सहित) तथा स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण शुल्क कृषि भूमि पर लागू दर की बजाय आवासीय दर से प्रभारित होनी चाहिये। इसके परिणामस्वरूप स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण शुल्क का क्रमशः ₹2.93 लाख एवं ₹0.60 लाख का न्यूनारोपण हुआ।

इसे इंगित किये जाने पर उपनिबन्धक, सितारगंज ने तथ्यों को स्वीकार करते हुये उत्तर दिया (अप्रैल 2014) कि सम्बन्धित पक्षों द्वारा ₹0.60 लाख पंजीकरण शुल्क जमा कर दिया गया है (सितम्बर 2013) तथा स्टाम्प शुल्क का प्रकरण वसूली हेतु जिला कलेक्टर को सन्दर्भित कर दिया गया है (अगस्त 2013)।

प्रकरण शासन को सन्दर्भित किया गया (मार्च 2014); उत्तर प्रतीक्षित है (दिसम्बर 2014)।

निष्पादन लेखापरीक्षा

परिवहन विभाग

2.6 मोटर वाहन पर करों के उद्ग्रहण एवं संग्रहण पर निष्पादन लेखापरीक्षा

मुख्यांश:

- 2013-14 में मोटर वाहन स्वामियों से ग्रीन उपकर के रूप में ₹4.09 करोड़ की वसूली के बाद भी राज्य शहरी परिवहन कोष की स्थापना न किया जाना।

[प्रस्तर 2.6.7.1 (ii)]

- वर्ष 2012, 2013 एवं 2014 के दौरान 136 व्यापारियों द्वारा 1,14,225 वाहनों की बिक्री के प्रकरण में ₹43.88 लाख का व्यापार कर एवं ₹16.27 लाख का अर्थदण्ड वसूल न किया जाना।

[प्रस्तर 2.6.7.2 (i)]

¹⁵ क्षेत्र की कृषि भूमि का सर्किल दर ₹21 लाख प्रति हेक्टेयर था जबकि आवासीय भूमि की दर ₹2,000 प्रति वर्गमीटर था।

¹⁶ विलेख पत्र सं. 1851/2012 (खाता सं. 80, खसरा सं0 556); क्षेत्रफल = 695 वर्गमीटर।

विलेख पत्र सं. 1852/2012 (खाता सं. 80, खसरा सं0 556); क्षेत्रफल = 695 वर्गमीटर।

विलेख पत्र सं. 1855/2012 (खाता सं. 21, खसरा सं0 252/2मि); क्षेत्रफल = 950 वर्गमीटर।

विलेख पत्र सं. 1858/2012 (खाता सं. 21, खसरा सं. 252/2मि); क्षेत्रफल = 950 वर्गमीटर।

➤ 379 प्रकरणों में परमिट के नवीनीकरण न किये जाने के फलस्वरूप ₹ 13.96 लाख का नवीनीकरण शुल्क वसूल न होना।

[प्रस्तर 2.6.7.3 (ii)]

➤ उच्च सुरक्षा पंजीयन प्लेटों की आपूर्ति में विलम्ब के कारण करारकर्ता से ₹ 1.13 करोड़ का अर्थदण्ड वसूल न किया जाना।

[प्रस्तर 2.6.8.1]

2.6.1 प्रस्तवाना

परिवहन विभाग राज्य में चलने वाले वाहनों को विनियमित करता है एवं नये वाहनों के पंजीकरण, परिवहन वाहनों को परमिट प्रदान करने, फिटनेस प्रमाणपत्र जारी करने, वाहनों के स्वामित्व के हस्तांतरण की सुविधा प्रदान करने, चालक व परिचालकों को लाइसेंस जारी करने आदि के लिये उत्तरदायी है। इन सेवाओं को, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र (रा सू के) द्वारा डिजाईन किए गए सॉफ्टवेयर अर्थात् वाहनों के पंजीयन के लिये वाहन एवं चालक तथा परिचालकों के लाइसेंस के लिये सारथी के माध्यम से दिया जाता है। इन सेवाओं को प्रदान करने की एवज में विभाग विभिन्न करों एवं शुल्कों का उद्ग्रहण व संग्रहण करता है।

2.6.2 संगठनात्मक ढांचा

शासन स्तर पर प्रमुख सचिव नेतृत्व करता है, जो परिवहन आयुक्त के रूप में भी कार्य करता है। उसे मुख्यालय स्तर पर एक अतिरिक्त परिवहन आयुक्त, तीन उप परिवहन आयुक्त एवं एक सहायक परिवहन आयुक्त के द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। चार क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी (आर टी ओ) गढ़वाल एवं कुमांऊ सम्भाग में दो-दो, 12 सहायक क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों (ए आर टी ओ) की मदद से विभाग की नैतिक प्रशासनिक कामकाज के लिये जिम्मेदार होता है। इसके अलावा, परिवहन कर अधिकारियों की नेतृत्व में 14 चेकपोस्ट भी विद्यमान हैं।

2.6.3 लेखापरीक्षा उद्देश्य

निष्पादन लेखापरीक्षा का उद्देश्य यह मूल्यांकन या आकलन करना था कि क्या:

- बजट अनुमान यथार्थवादी थे;
- करों, अतिरिक्त करों एवं शुल्कों का उद्ग्रहण एवं संग्रहण अधिनियम एवं उसके तहत बनाये गये नियमों के प्रावधानों के अनुसार था;
- उच्च सुरक्षा पंजीयन प्लेटों का सभी वाहनों पर लगाने की योजना को सफलता पूर्वक कार्यान्वित किया गया था; एवं
- विभाग में आन्तरिक नियंत्रण प्रभावकारी थे।

2.6.4 लेखापरीक्षा कार्य-क्षेत्र एवं कार्यप्रणाली

अप्रैल 2014 से अगस्त 2014 के दौरान मध्य परिवहन आयुक्त कार्यालय, सभी चार¹⁷ आर टी ओ, 12 में से छः¹⁸ ए आर टी ओ एवं 14 में से पाँच¹⁹ चेक पोस्टों की निष्पादन लेखापरीक्षा वर्ष 2009-10 से 2013-14 की अवधि के अभिलेखों की जांच की गयी। ए आर टी ओ कार्यालयों एवं चेक पोस्टों का लेखापरीक्षा हेतु इकाईयों

¹⁷ आर टी ओ: देहरादून, पौड़ी, हल्द्वानी और अल्मोड़ा।

¹⁸ ए आर टी ओ: रुद्रप्रयाग, हरिद्वार, कोटद्वार, टनकपुर, ऊधमसिंह नगर एवं ऋषिकेश।

¹⁹ चेक पोस्ट: नारसन, भगवानपुर, चिडियापुर, आशारोड़ी एवं रुद्रपुर।

का चयन प्रतिस्थापक के साथ आकार समानुपातिक संभावना (पी पी एस डब्ल्यू आर) विधि के आधार पर किया गया।

लेखापरीक्षा के उद्देश्यों, कार्यक्षेत्रों क्रियाविधि की चर्चा विभाग के अपर परिवहन आयुक्त एवं अन्य अधिकारियों के साथ 9 अप्रैल 2014 को संपादित प्रवेश सम्मेलन में की गयी। प्रालेख प्रतिवेदन सरकार को उनके उत्तर/प्रतिक्रिया के लिये भेजा गया (सितम्बर 2014)। इन अधिकारियों से प्राप्त आदानों को क्षेत्रीय कार्यालयों की लेखापरीक्षा के दौरान ध्यान में रखा गया। लेखापरीक्षा परिणामों पर चर्चा हेतु एक निकास गोष्ठी उपसचिव,²⁰ परिवहन विभाग उत्तराखण्ड शासन के साथ 12 नवम्बर 2014 को सम्पन्न हुई। विभाग की प्रतिक्रिया को प्रतिवेदन में उचित स्थानों पर सम्मिलित किया गया है।

2.6.5 लेखापरीक्षा मानदण्ड

निष्पादन लेखापरीक्षा हेतु मानदण्ड निम्नलिखित स्रोतों से लिया गया:

- केन्द्रीय मोटरवाहन (सी एम वी) अधिनियम, 1988;
- केन्द्रीय मोटरवाहन (सी एम वी) नियमावली, 1989;
- उत्तराखण्ड मोटरवाहन कराधान सुधार (यु एम वी टी आर) अधिनियम, 2003;
- उत्तराखण्ड मोटरवाहन कराधान सुधार (यु एम वी टी आर) नियमावली, 2003; एवं
- विभागीय अधिसूचनाएं, आदेश, परिपत्र इत्यादि।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष

2.6.6 राजस्व प्रवृत्तियां

विभाग द्वारा पिछले पांच वर्षों के दौरान संग्रहित राजस्व की स्थिति को तालिका 2.6.1 में दर्शाया गया है।

तालिका 2.6.1

(₹ करोड़ में)

वर्ष	बजट अनुमान	वास्तविक प्राप्तियां	भिन्नता का प्रतिशत
2009-10	203.00	182.16	(-)10.27
2010-11	225.30	223.26	(-)0.90
2011-12	249.53	329.63	(+)32.10
2012-13	275.00	298.17	(+)8.42
2013-14	320.00	362.93	(+)13.42

स्रोत:- शासन के वित्त लेखे

उपरोक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि वर्ष 2009-10 से 2013-14 के मध्य विभाग के वास्तविक प्राप्तियों में वृद्धि का रुझान रहा, सिवाय वर्ष 2012-13 के, जिसमें पूर्व वर्ष की अपेक्षा वास्तविक प्राप्तियों में 9.54 प्रतिशत की गिरावट रही। यह गिरावट उत्तराखण्ड परिवहन निगम द्वारा बकाया अतिरिक्त कर के रूप में ₹ 80.11 करोड़ जमा किये जाने के कारण वर्ष 2011-12 में वास्तविक प्राप्तियों में अप्रत्याशित वृद्धि के कारण थी। इसके अलावा नवम्बर 2012 में युक्तिसंगत कर ढांचे के कारण विभाग के बजट अनुमान की अपेक्षा वास्तविक प्राप्तियों में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई।

²⁰ अपर सचिव, परिवहन विभाग द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित।

2.6.7 मोटरवाहन करों का उद्ग्रहण एवं संग्रहण

उत्तराखण्ड में चल रहे मोटरवाहनों पर करों, अतिरिक्त करों, शुल्कों एवं करों के निर्धारण एवं संग्रहण तथा अर्थदण्ड का आरोपण उत्तराखण्ड मोटरवाहन कराधान सुधार (यु एम वी टी आर) अधिनियम, 2003 एवं उत्तराखण्ड मोटरवाहन कराधान सुधार (यु एम वी टी आर) नियमावली, 2003 के प्रावधानों के तहत विनियमित होता है। आर टी ओ, ए आर टी ओ या यात्रीकर अधिकारीगण अपने सम्बंधित क्षेत्रों या उपक्षेत्रों में जैसी भी स्थिति हो, के स्थानीय सीमा में कर निर्धारण अधिकारी के रूप में कार्य करते हैं। लेखापरीक्षा के दौरान करों एवं शुल्कों के उद्ग्रहण व संग्रहण में निम्नलिखित कमियां पायी गयीं।

2.6.7.1 करों का उद्ग्रहण

(i) विलम्बित पंजीकरणों पर अर्थदण्ड का उद्ग्रहण न किया जाना

केन्द्रीय मोटरवाहन नियमावली 1989 का नियम 47(1) यह प्रावधानित करता है कि मोटरवाहन के पंजीकरण हेतु आवेदन मोटरवाहन की डिलीवरी लेने की तिथि से सात दिन के अन्दर पंजीयनकर्ता अधिकारी को प्रस्तुत करना होगा, जिसकी विफलता पर उत्तराखण्ड, मोटरवाहन कराधान सुधार नियमावली, 2003 के नियम 24(1) के अन्तर्गत 5 प्रतिशत प्रतिमाह की दर से वाहन स्वामी अर्थदण्ड देने के लिए उत्तरदायी होगा।

दो आर टी ओ²¹ एवं चार ए आर टी ओ²² के अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया कि विभाग 2012-13 एवं 2013-14 के दौरान 12 प्रकरणों में ₹ 0.52 लाख का अर्थदण्ड उद्ग्रहीत करने में विफल रहा। आगे 09 प्रकरणों में, पंजीकरण हेतु एक बारीय कर एक्स शोरूम प्राइस की अपेक्षा एक्सशोरूम प्राइस में से छूट घटाकर गणना किये जाने के कारण ₹ 1.17 लाख के अर्थदण्ड का न्यूनारोपण हुआ।

निकास गोष्ठी (नवम्बर 2014) के दौरान विभाग ने बताया कि अर्थदण्ड वसूल कर लिया जायेगा।

(ii) ग्रीन उपकर का उद्ग्रहण एवं राज्य शहरी परिवहन कोष की स्थापना न किया जाना।

प्रदूषण नियंत्रण एवं शहरी परिवहन क्षेत्रों में सुधार हेतु राज्य सरकार द्वारा उत्तराखण्ड मोटरवाहन कराधान सुधार (यु एम वी टी आर) अधिनियम, 2003 की धारा 4(5) के तहत ग्रीन उपकर के संग्रहण हेतु अधिसूचना जारी की गयी (नवम्बर 2012)। उपकर मोटरवाहन के पंजीकरण के समय उद्ग्रहित होना था, एवं उसके बाद संग्रहित उपकर अधिनियम के उपधारा 8-ए के तहत स्थापित होने वाले राज्य शहरी परिवहन कोष में जमा होना था।

तीन आर टी ओ एवं पांच ए आर टी ओ के अभिलेखों की नमूना जांच में यह पाया गया कि वर्ष 2013-14 के दौरान 260 मोटरवाहनों का पुनः पंजीकरण होना था एवं इस सम्बन्ध में विभाग द्वारा कोई नोटिस जारी नहीं किया गया था जिसके फलस्वरूप ₹ 1.31 लाख के ग्रीन उपकर का उद्ग्रहण नहीं हो पाया।

²¹ आर टी ओ हल्द्वानी : अनुदग्रहण के 2 प्रकरण (₹ 26,052) एवं देहरादून कम उद्ग्रहण के 2 प्रकरण (₹ 57,146)।

²² ए आर टी ओ हरिद्वार: अनुदग्रहण के 5 प्रकरण (₹ 23,328) एवं कम उद्ग्रहण के 01 प्रकरण (₹ 1,420), कोटद्वार: अनुदग्रहण के 01 प्रकरण (₹ 1,012), ऋषिकेश: कम उद्ग्रहण के 06 प्रकरण (₹ 58,815) एवं टनकपुर: अनुदग्रहण के 04 प्रकरण (₹ 1,876)।

यह भी पाया गया कि मार्च 2014 तक राज्य में कुल ₹ 4.09 करोड़ ग्रीन उपकर के नाम पर संग्रहित किया गया किंतु न तो राज्य शहरी परिवहन कोष की स्थापना की गई और न ही विनिर्दिष्ट उद्देश्य हेतु कोई धनराशि उपयोग की गई। इस प्रकार, ग्रीन उपकर के संग्रहण का उद्देश्य पूरा नहीं हुआ।

निकास गोष्ठी (नवम्बर 2014) के दौरान विभाग ने बताया कि ग्रीन उपकर की वसूली हेतु नोटिस जारी किये जायेंगे एवं आश्वासन दिया कि राज्य शहरी परिवहन कोष स्थापित किये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

(iii) एक बारगी कर का कम उदग्रहण

उत्तराखण्ड मोटरवाहन कराधान सुधार (यु एम वी टी आर) अधिनियम, 2003 (यथा संशोधित 8 नवम्बर 2012) की धारा 4(1) प्रावधानित करता है कि किसी सार्वजनिक स्थान पर कोई मोटरवाहन तब तक नहीं चलेगा जब तक कि सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट दर से एक बारगी कर अदा नहीं कर दिया जाता। सरकार द्वारा स्पष्ट किया गया (अप्रैल 2013) कि एक बारगी कर छूट से पहले एक्स शोरूम कीमत पर उदग्रहणीय होगा।

तीन आर टी ओ²³ एवं सभी छः चयनित ए आर टी ओ के अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया कि 2012-13 एवं 2013-14 के दौरान 56 प्रकरणों में एक बारगी कर एक्स शोरूम कीमत की अपेक्षा छूट दी गयी कीमत पर उदग्रहित किया गया। इसके फलस्वरूप ₹ 0.84²⁴ लाख के एक बारगी कर का कम उदग्रहण हुआ।

निकास गोष्ठी (नवम्बर 2014), के दौरान विभाग ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार किया एवं यह सुनिश्चित किया कि शेष कर वसूल किया जाएगा।

(iv) गलत दरों के प्रयोग के कारण कर का न्यूनारोपण

उत्तराखण्ड में मोटरवाहनों पर करों के दर को 29 नवम्बर 2012 को पुनरीक्षित किया गया। यद्यपि, सभी चयनित आर टी ओ और ए आर टी ओ, रुद्रप्रयाग को छोड़कर, के अभिलेखों की नमूना जांच में यह पाया गया कि पुराने कर की दरों को लागू किये जाने, गलत दरों के प्रयोग करने एवं कर की संशोधित दरों पर अस्वीकार्य छूट के कारण 38 मोटरवाहनों पर ₹ 3.57 लाख²⁵ के कर का न्यूनारोपण हुआ।

निकास गोष्ठी (नवम्बर 2014), के दौरान विभाग ने बताया कि शेष कर वसूल किया जायेगा।

2.6.7.2 करों का संग्रहण

(i) व्यापार कर की वसूली न होना

उत्तराखण्ड मोटरवाहन कराधान सुधार (यू एम वी टी आर) अधिनियम, 2003 के धारा 4 (4) प्रावधानित करता है कि व्यापारी के कब्जे में विक्रय के प्रयोजनार्थ रखे गये वाहनों पर, ऐसी विक्रय दर पर, जो राज्य

²³ पौड़ी, अल्मोड़ा एवं हल्द्वानी।

²⁴ आर टी ओ पौड़ी: 09 प्रकरणों के विरुद्ध ₹ 25,506, आर टी ओ हल्द्वानी: 02 प्रकरणों के विरुद्ध ₹ 581, आर टी ओ अल्मोड़ा: 11 प्रकरणों के विरुद्ध ₹ 10,357, ए आर टी ओ कोटद्वार: 14 प्रकरणों के विरुद्ध ₹ 12,172, ए आर टी ओ टनकपुर: 08 प्रकरणों के विरुद्ध ₹ 8,174, ए आर टी ओ रुद्रपुर: 06 प्रकरणों के विरुद्ध ₹ 10,561, ए आर टी ओ हरिद्वार: 01 प्रकरण के विरुद्ध ₹ 3,073, ए आर टी ओ रुद्रप्रयाग: 04 प्रकरणों के विरुद्ध ₹ 3,240, ए आर टी ओ ऋषिकेश: 01 प्रकरण के विरुद्ध ₹ 10,524।

²⁵ आर टी ओ देहरादून: 12 प्रकरणों के विरुद्ध ₹ 1,37,627, आर टी ओ पौड़ी: 04 प्रकरणों के विरुद्ध ₹ 47,348, आर टी ओ हल्द्वानी: 01 प्रकरण के विरुद्ध ₹ 597, आर टी ओ अल्मोड़ा: 02 प्रकरणों के विरुद्ध ₹ 16,207, ए आर टी ओ कोटद्वार: 04 प्रकरणों के विरुद्ध ₹ 32,275, ए आर टी ओ टनकपुर: 01 प्रकरण के विरुद्ध ₹ 7,821, ए आर टी ओ रुद्रपुर: 01 प्रकरण के विरुद्ध ₹ 893, ए आर टी ओ हरिद्वार: 03 प्रकरणों के विरुद्ध ₹ 38,809 ए आर टी ओ ऋषिकेश: 10 प्रकरणों के विरुद्ध ₹ 75,842।

सरकार द्वारा गजट में अधिसूचित की जाय, कर उदग्रहणीय होगा। तदनुसार सरकार द्वारा प्रत्येक दो पहिये एवं हल्के वाहन की बिक्री पर ₹ 50 तथा प्रत्येक माध्यम एवं भारी वाहनों की बिक्री पर ₹ 100 का कर निर्धारित किया गया। इसके अलावा, उत्तराखण्ड मोटरवाहन कराधान सुधार (यू एम वी टी आर) नियमावली, 2003 29 नवम्बर 2012 से यथा संशोधित के नियम 24 के प्रावधानों के अनुसार बकाये कर पर पांच प्रतिशत प्रतिमाह की दर से अर्थदण्ड उदग्रहणीय होगा।

तीन आर टी ओ²⁶ एवं चार ए आर टी ओ²⁷ के अभिलेखों के नमूना जांच में पाया गया कि विभाग 136 व्यापारियों द्वारा वर्ष 2012-2014 के दौरान 1,14,225 वाहनों के बेचे जाने के प्रकरण में ₹ 43.88 लाख व्यापार कर के रूप में वसूलने में विफल रहा, इसके अतिरिक्त ₹ 16.27 लाख का अर्थदण्ड भी उदग्रहणीय था।

निकास गोष्ठी (नवम्बर 2014) के दौरान विभाग ने बताया कि व्यापार कर एवं अर्थदण्ड वसूला जायेगा।

(ii) परिवहन वाहनों से कर की वसूली न किया जाना।

उत्तराखण्ड मोटरवाहन कराधान सुधार (यू एम वी टी आर) अधिनियम, 2003, 8 नवम्बर 2012 को यथा संशोधित की धारा 4(2) उत्तराखण्ड में चल रहे प्रत्येक परिवहन वाहन पर सरकार द्वारा निर्धारित दर पर कर प्रावधानित करता है। विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर निर्धारित दरों पर कर के भुगतान की विफलता पर बकाये कर के अधिकतम 25 प्रतिशत (8 नवम्बर 2012 से 100 प्रतिशत) अर्थदण्ड उपरोक्त अधिनियम की धारा 9 (3) के तहत लिया जायेगा।

सभी चार आर टी ओ एवं छः में से पांच²⁸ चयनित ए आर टी ओ के अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया कि 562 मोटर कैबों/मैक्सी/भार वाहनों के प्रकरण में अक्टूबर 2007 से अप्रैल 2014 के अवधि का कुल ₹ 80.12 लाख का कर जमा नहीं किया गया था। इन बकायों को वसूले जाने का कोई प्रयास विभाग द्वारा किया जाना नहीं पाया गया।

निकास गोष्ठी (नवम्बर 2014) के दौरान विभाग ने बताया कि कर एवं अर्थदण्ड वसूल किया जायेगा।

(iii) मोटरवाहनों के अनियमित समर्पण के कारण कर का वसूल न होना

उत्तराखण्ड मोटरवाहन कराधान सुधार (यू एम वी टी आर) नियमावली 2003 यथा संशोधित 29 नवम्बर 2012 की नियम 22(4) प्रावधानित करती है कि कराधान अधिकारी एक कलेण्डर वर्ष में तीन कलेण्डर माह से अधिक का मोटरवाहन का अनुप्रयोग स्वीकार नहीं करेगा। यद्यपि, यदि वाहन स्वामी निर्धारित शुल्क के साथ आवेदन करे तो कराधान अधिकारी की संस्तुति पर सम्बन्धित सम्भागीय परिवहन अधिकारी मोटरवाहन के तीन कलेण्डर माह से अधिक का अनुप्रयोग स्वीकार कर सकता है, ऐसा करने में विफल रहने पर वाहन का अभ्यर्पण प्रातसंघत किया हुआ समझा जायेगा और वाहन के स्वामी को कर का भुगतान करना पड़ेगा।

अप्रैल 2014 से अगस्त 2014 के दौरान चार आर टी ओ एवं छः ए आर टी ओ के अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया कि फरवरी 2011 एवं मार्च 2013 के मध्य 170 वाहनों का अभ्यर्पण स्वीकार्य किया गया। वाहन स्वामियों द्वारा, वाहन के अनुप्रयोग की अवधि बीत जाने के बाद भी वाहन के अनुप्रयोग की अवधि बढ़ाये जाने हेतु निर्धारित शुल्क के साथ आवेदन नहीं किया गया, इसके फलस्वरूप ऊपर वर्णित नियमों के अनुसार वाहन

²⁶ पौड़ी, हल्द्वानी, एवं देहरादून।

²⁷ रुद्रप्रयाग, कोटद्वार, ऊधमसिंह नगर एवं ऋषिकेश।

²⁸ रुद्रप्रयाग, हरिद्वार: टनकपुर ऊधमसिंह नगर एवं ऋषिकेश।

स्वामी कर के देनदार हुये। विभाग इन वाहन स्वामियों से नवम्बर 2011 से मार्च 2014 तक की अवधि के लिये कुल ₹ 37.64 लाख के कर की वसूली के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही करने में विफल रहा।

निकास गोष्ठी (नवम्बर 2014) के दौरान विभाग ने बताया कि प्रकरण की जांच की जायेगी।

(iv) मोटर वाहन स्वामियों के न पाये जाने के कारण कर वसूल न होना।

उत्तराखण्ड मोटर वाहन कराधान सुधार नियमावली, 2003 के नियम 18 में यह प्रावधान है कि यदि दिए गए समय में वाहन स्वामी द्वारा कर का भुगतान न किया जाए तो जिलाधिकारी के द्वारा उसके नाम से वसूली पत्र जारी किया जाए।

दो आर टी ओ और तीन ए आर टी ओ के अभिलेखों की नमूना जांच²⁹ में यह पाया गया कि 2009-10 से 2012-13 के लिए ₹ 2.54 लाख की कर राशि से संबंधित 14 वसूली पत्रों (आर सी) को संबंधित जिलाधिकारियों को भेजा गया जिसे कर वसूल किए बिना ही इस अभ्युक्ति के साथ लौटाया गया कि वाहन स्वामी वसूली पत्रों में दिए गए पते पर नहीं रहते, कोई चल-अचल सम्पत्ति नहीं थी, अतः वाहन स्वामी के अंकित पते पर न पाये जाने के कारण वसूली संभव नहीं हो पायी।

इस प्रकार से, वाहन स्वामियों के विरुद्ध त्वरित और समय रहते कार्रवाई न किए जाने के कारण ₹ 2.54 लाख को कर वसूला नहीं किया जा सका।

इसे इंगित किये जाने पर, निकास गोष्ठी (नवम्बर 2014) के दौरान विभाग ने यह बताया कि उक्त कर के अवलेखन के लिए शासन से दिशानिर्देश लिए जाएंगे।

2.6.7.3 शुल्कों की वसूली

केन्द्रीय मोटरवाहन अधिनियम, 1988 की धारा 200 के तहत राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारीगण, अधिनियम के तहत कुछ दण्डनीय अपराधों को प्रशमित कर सकते हैं। विभिन्न अपराधों के लिये प्रशमन शुल्क राज्य सरकार द्वारा शासनादेश सं. 153/IX/108/2009 दिनांक 15 जुलाई 2009 के तहत निर्धारित किये गये हैं। कोई भी मोटरवाहन, परिवहन वाहन के रूप में राज्य में तब तक प्रयोग नहीं किया जायेगा जबतक कि क्षेत्रीय या राज्य परिवहन अधिकारी द्वारा इस सम्बन्ध में परमिट प्रदान नहीं कर दिया जाता। इस प्रकार का परमिट, अस्थायी या विशेष परमिट को छोड़कर, जारी करने या नवीकरण की तिथि से पांच वर्ष की अवधि तक प्रभावी होगा तथा निर्धारित शुल्क के भुगतान के पश्चात् नवीनीकरण करवाया जा सकेगा।

केन्द्रीय मोटरवाहन (सी एम वी) नियमावली, 1989 के नियम 33 में यह प्रावधान है कि डीलर के कब्जे वाले मोटरवाहन को पंजीकरण की अनिवार्यता से छूट रहेगी बशर्ते कि वह व्यापारी अपने कारोबारी क्षेत्र के पंजीकरण प्राधिकारी से व्यापार प्रमाण पत्र प्राप्त कर ले। व्यापार प्रमाण पत्र 12 महीनों के लिये वैध होता है एवं पुनः उसका नवीकरण किया जा सकता है। नियम 81 के तहत व्यापारी को मोटर साइकिलों के प्रकरण में ₹ 50 एवं अन्य प्रकरणों में ₹ 200 का अपेक्षित शुल्क अदा करना होगा।

केन्द्रीय मोटरवाहन (सी एम वी) नियमावली, 1989 के नियम 62 में यह प्रावधान है कि एक परिवहन वाहन विधिक रूप से पंजीकृत नहीं समझा जायेगा जबतक कि उसके पास फिटनेस प्रमाण पत्र न हो। नये पंजीकृत

²⁹ आर टी ओ: पौड़ी एवं अल्मोड़ा एवं ए आर टी ओ: हरिद्वार, टनकपुर एवं उधमसिंह नगर।

परिवहन वाहन के सम्बन्ध में जारी किया गया फिटनेस प्रमाण पत्र दो वर्षों तक वैध रहेगा तथा निर्धारित शुल्क के भुगतान पर प्रतिवर्ष नवीनीकरण कराना होगा।

लेखापरीक्षा द्वारा पाया गया कि (अप्रैल 2014 एवं अगस्त 2014 के दौरान) तालिका 2.6.2 में दिये गये विवरणों के अनुसार कुल धनराशि ₹ 21.09 लाख की कम वसूली विभाग द्वारा की गई। प्रशमन शुल्क, परमिट नवीनीकरण शुल्क, व्यापार प्रमाण पत्र के नवीनीकरण का शुल्क, फिटनेस शुल्क आदि का विभाग द्वारा कम वसूली किया गया।

तालिका 2.6.2

क्र सं.	आर टी ओ/ ए आर टी ओ का नाम	अवधि	कम वसूल हुए शुल्क की धनराशी	अनियमितताओं की प्रकृति
1	चार आर टी ओ ³⁰ एवं पांच ए आर टी ओ ³¹	अक्टूबर 2012 से मार्च 2014 तक	₹ 1.24 लाख	38 मोटरवाहनों के सम्बन्ध में अपराधों जैसे वाहन में अत्यधिक यात्रियों का चढ़ाना, राष्ट्रीय परमिट धारक वाहनों में दूसरे ड्राइवर का न होना एवं ड्राइविंग लाइसेंस का न होने आदि जैसे मामलों में निर्धारित दर से ₹ 1.83 लाख के प्रशमन शुल्क के विरुद्ध ₹ 0.59 लाख का प्रशमन शुल्क प्रशमित कर संग्रहित किया जाना।
2	परिवहन आयुक्त एवं तीन ए आर टी ओ ³²	2009-2014	₹ 13.96 लाख	वर्ष 2009 से 2014 के मध्य 379 मोटर वाहनों के परमिट समाप्त होने पर उनके नवीनीकरण का शुल्क देय था परन्तु लेखापरीक्षा की तिथि तक विभाग नवीनीकरण शुल्क वसूल करने में विफल रहा। इसके अतिरिक्त, इन वाहन स्वामियों के विरुद्ध सी एम वी अधिनियम, 1988 के तहत अर्थदण्ड भी उद्ग्रहीय था।
3	दो आर टी ओ एवं चार ए आर टी ओ	2009-2014	₹ 2.46 लाख	136 व्यापारियों द्वारा अपना व्यापार प्रमाण पत्र नवीनीकरण नहीं कराया गया। इसके परिणामस्वरूप इन व्यापारियों से अपेक्षित शुल्क का उद्ग्रहण नहीं हुआ। इन व्यापारियों से अर्थदण्ड भी उद्ग्रहीय था।
4	दो आर टी ओ ³³ एवं छः ए आर टी ओ	2009-2014	₹ 3.43 लाख	अप्रैल 2009 से मार्च 2014 के मध्य 892 परिवहन वाहनों का फिटनेस प्रमाण पत्र समाप्त हो चुका था। वाहन स्वामी फिटनेस शुल्क के भुगतान करने के दायी थे लेकिन विभाग इसे वसूल करने में विफल रहा। इसके अतिरिक्त, सी एम वी अधिनियम, 1988 के तहत इन वाहन स्वामियों के विरुद्ध अर्थदण्ड भी उद्ग्रहीय था।
	कुल		₹ 21.09 लाख	

³⁰ आर टी ओ: पौड़ी, हल्द्वानी, अल्मोड़ा एवं देहरादून।

³¹ ए आर टी ओ: रुद्रपुर, हरिद्वार, कोटद्वार, टनकपुर एवं ऋषिकेश।

³² आर टी ओ: देहरादून, हल्द्वानी एवं अल्मोड़ा।

³³ आर टी ओ: हल्द्वानी एवं देहरादून।

सम्प्रेक्षा द्वारा इसे इंगित किये जाने पर निकास गोष्ठी (नवम्बर 2014) के दौरान, विभाग ने बताया कि प्रशमन शुल्क, फिटनेस शुल्क, परमिट नवीनीकरण शुल्क एवं व्यापार प्रमाण पत्र नवीनीकरण शुल्क वसूल कर लिया जायेगा।

2.6.8 उच्च सुरक्षा पंजीकरण प्लेट योजना का कार्यान्वयन

मोटर वाहनों पर उच्च सुरक्षा पंजीकरण प्लेट (एच एस आर पी) लगाये जाने की योजना, उच्च सुरक्षा पंजीकरण प्लेट लगाये जाने के सम्बन्ध में केन्द्रीय मोटरवाहन (सी एम वी) नियमावली, 1989 के नियम 50 को लागू किये जाने के उद्देश्य एवं पंजीकृत हो रहे/पहले से पंजीकृत सभी प्रकार के मोटरवाहनों में पंजीकरण प्लेट के आकार, रंग एवं विशिष्टताओं में एकरूपता सुनिश्चित किये जाने के सम्बन्ध में जारी किये गये आदेशों के लिये, राज्य में फरवरी 2012 से लागू किया गया। लिंक उत्सव एच एस आर पी (प्रा) लि का चयन संविदा प्रक्रिया के तहत किया गया तथा 'स्वामित्व के साथ निर्माण संचालन' के आधार पर मोटरवाहनों पर एच एस आर पी लगाये जाने हेतु इनके साथ एक अनुबन्ध किया गया (दिसम्बर 2011)। योजना के कार्यान्वयन में निम्नलिखित कमियाँ पायी गईं।

2.6.8.1 उच्च सुरक्षा पंजीकरण प्लेटों की आपूर्ति में विलम्ब

एच एस आर पी करार का खंड 4.6 यह प्रावधानित करता है कि करारकर्ता द्वारा खंड 4.5.1 (1) के अनुसार भुगतान पाने के सात दिनों के अन्दर न्यूनतम प्लेटों की आपूर्ति न करने की दशा में ₹ 100 प्रति प्लेट प्रति दिन की दर से, जिस माह में एच एस आर पी की आपूर्ति में विलम्ब हुआ है, उसके दौरान लगाये जाने वाले एच एस आर पी के अधिकतम 50 प्रतिशत पर अर्थदण्ड आरोपणीय होगा।

आर टी ओ, अल्मोड़ा, ए आर टी ओ टनकपुर एवं रुद्रपुर से प्राप्त सूचना के अनुसार 28 जनवरी 2014 से 6 जून 2014 के मध्य कुल 2,961 एच एस आर पी का एक दिन से 130 दिनों तक के विलम्ब से आपूर्ति की गई। करारकर्ता इसके लिए ₹ 1.13 करोड़ के अर्थदण्ड का दायी था, परन्तु विभाग अर्थदण्ड उदग्रहित करने में विफल रहा।

निकास गोष्ठी (नवम्बर 2014) के दौरान इंगित किये जाने पर विभाग ने बताया कि अर्थदण्ड की वसूली हेतु नोटिस जारी किया गया है।

2.6.8.2 कार्यक्रम निगरानी तंत्र /विशेषज्ञ समिति का गठन न होना।

एच एस आर पी करार का खंड 5.3 में यह प्रावधान है कि परिवहन विभाग सरकार के परामर्श से सरकारी क्षेत्र के विशेषज्ञों को शामिल करते हुए एक विशेषज्ञ समिति के साथ कार्यक्रम की निगरानी हेतु एक तंत्र की स्थापना करेगा, और विभाग परियोजना के अधीन सुपुर्दगी की समय-समय पर निगरानी करेगा। यदि समिति करारकर्ता के कार्य को निम्न स्तर का या हल्का पाती है तो विभाग को योजना बनाने एवं सुधारात्मक कार्यवाही के लिये निर्देशित किया जायेगा।

लेखापरीक्षा द्वारा पाया गया कि शासन/विभाग ऐसी समिति का गठन अभी तक नहीं कर पाया है जो कि समय समय पर परियोजना के उद्देश्यों पर निगरानी कर सके। साथ-साथ एच एस आर पी के निर्माण में अत्यधिक विलम्ब के प्रकरणों से साबित होता है कि करारकर्ता द्वारा सेवा की गुणवत्ता को सुनिश्चित नहीं किया जा सका।

2.6.9 आंतरिक नियंत्रण एवं अनुश्रवण

एक सृजित आंतरिक नियंत्रण तंत्र एवं नियमों का कड़ाई से पालन, विभाग द्वारा लागू नियमों के अनुपालन, वित्तीय प्रतिवेदन की विश्वसनीयता प्राप्त करने एवं संचालन में दृढ़ता तथा प्रभावशीलता के लिये उचित आश्वासन प्रदान करता है।

ऊपर वर्णित विभिन्न कमियाँ यह इंगित करती हैं कि विभाग द्वारा उद्घूहित एवं संगृहीत होने वाले करों एवं शुल्कों की पूर्ण वसूली सुनिश्चित करने के लिये विभाग में आंतरिक नियंत्रण एवं अनुश्रवण का तंत्र पर्याप्त मजबूत नहीं था। परिवहन आयुक्त कार्यालय द्वारा निरीक्षण की कमी एवं आंतरिक लेखापरीक्षा तंत्र को विद्यमान न होने के कारण आन्तरिक नियंत्रण प्रणाली को और कमजोर किया गया।

निष्कर्ष

कारों शुल्कों एवं अर्थदण्ड के न्यूनारोपण एवं अनग्रहण के विभिन्न प्रकरण नियमों के अनुपालन में कमी एवं विभाग के संचालन में अदक्षता को प्रदर्शित करता है। विभाग द्वारा मोटरवाहनों के व्यापारियों से व्यापार कर, परिवहन वाहनों के स्वामियों से कर तथा मोटरवाहनों स्वामियों द्वारा परमिट, व्यापार प्रमाण पत्र एवं फिटनेस प्रमाण पत्र के नवीनीकरण न किये जाने के कारण राजस्व के एक बड़े भाग से विभाग को वंचित होना पड़ा। राज्य शहरी परिवहन कोष की स्थापना नहीं की गयी। मोटरवाहनों में एच एस आर पी लगाये जाने में विलम्ब हुआ।

अनुशंसाये

शासन/विभाग विचार कर सकता है कि:

- (i) करों, शुल्कों एवं अर्थदण्ड के न्यूनारोपण एवं अनुग्रहण के मामलों को पकड़ने के लिये विभाग में एक तंत्र की स्थापना हो;
- (ii) प्राथमिकता के आधार पर राज्य शहरी परिवहन कोष की स्थापना की जाय और एच एस आर पी के लगाये जाने की सूक्ष्म अनुश्रवण की जाय; एवं
- (iii) आन्तरिक लेखापरीक्षा खण्ड की स्थापना कर आन्तरिक नियंत्रण को मजबूत किया जाय।

उपरोक्त प्रकरण सरकार को प्रेषित किये गये (सितम्बर 2014) उत्तर प्रतीक्षित हैं। (दिसम्बर 2014)।

भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग

2.7 उप-खनिजों से प्राप्तियों की निष्पादन लेखापरीक्षा

मुख्यांश

- प्रपत्रों की प्राप्ति, निर्गम एवं उपयोग के अनुश्रवण हेतु नियंत्रण तंत्र नहीं था।
[प्रस्तर 2.7.8.1]
- रॉयल्टी के कम भुगतान का पता नहीं लगाने एवं दरों के त्रुटिपूर्ण विनियोग के परिणामतः 14 प्रकरणों में ₹ 6.38 करोड़ के कम राजस्व की वसूली हुई।
[प्रस्तर 2.7.9.1 एवं 2.7.9.2]
- विभाग द्वारा ऐसे ईट भट्ठों जिन्होंने अनुज्ञापत्र प्राप्त नहीं किया था, के अभिज्ञान में विफलता के परिणामतः 782 प्रकरणों में ₹ 5.88 करोड़ के राजस्व की हानि हुई।
[प्रस्तर 2.7.9.3]
- पट्टा विलेखों के पंजीकरण में विलम्ब/नहीं कराने के परिणामतः 14 प्रकरणों में ₹ 4.08 करोड़ के स्टाम्प शुल्क की वसूली नहीं हुई।
[प्रस्तर 2.7.10.1]

2.7.1 परिचय

खनिजों को दो समूहों में वर्गीकृत किया गया है, (i) मुख्य खनिज एवं (ii) उप-खनिज। खान और खनिज (नियमन और विकास) अधिनियम, 1957 की धारा 3 (ई) के अधीन उप-खनिजों को परिभाषित किया गया है। भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के संघीय सूची (सूची I) की प्रवृष्टि 54 और राज्य सूची (सूची II) की प्रवृष्टि 23 के संदर्भ में केन्द्र और राज्य सरकारों के मध्य खनिजों के प्रबन्धन हेतु दायित्वों का बटवारा किया गया है। मुख्य खनिजों के परिहार की अनुज्ञा, केन्द्र सरकार द्वारा बनाये गये नियमों एवं नियमन के द्वारा शासित होती है और उप-खनिजों के परिहार की अनुज्ञा के नियम, खान और खनिज (नियमन और विकास) अधिनियम, 1957 की धारा 15 के अधीन प्रदत्त शक्तियों के अनुसार राज्य सरकार द्वारा बनाये जाते हैं।

राज्य सरकार ने उत्तराखण्ड उप-खनिज (परिहार) नियमावली, 2001 और उत्तराखण्ड खनिज नीति, 2001 बनायी थी, जो राज्य में उप-खनिजों के खनन को शासित करते हैं। इसमें समय-समय पर संशोधन किया गया है।

2.7.2 खनिज संसाधनों का प्रबन्धन

उत्तराखण्ड विविध प्रकार के मुख्य³⁴ एवं उप³⁵-खनिजों से परिपूर्ण है। राज्य में मुख्य रूप से तीन एजेन्सियाँ हैं जो कि उप-खनिजों के चुगान का कार्य करती हैं। उत्तराखण्ड वन विकास निगम (उ व वि नि) सम्पूर्ण राज्य के वन भूमि से उप-खनिजों का चुगान करता है जबकि गढ़वाल मण्डल विकास निगम (ग म वि नि) और कुमायूं मण्डल विकास निगम (कु म वि नि) क्रमशः गढ़वाल और कुमायूं क्षेत्र की राजस्व (सरकारी) भूमि से

³⁴ सोप स्टोन, मैग्नीसाइट, लाईम स्टोन, डोलोमाइट और सिलिका सैण्ड।

³⁵ बोल्टर, बजरी, साधारण बालू, साधारण मिट्टी, नदी तल में पाई जाने वाली सामग्री आदि।

उप खनिजों का चुगान करते हैं। इसके समानान्तर, निजी पट्टाधारक इन खनिजों का चुगान निजी भूमि और ऐसी राजस्व भूमि, जहां ग म वि नि या कु म वि नि कार्य करने से इन्कार कर देते हैं, से करते हैं।

2.7.3 संगठनात्मक ढांचा

राज्य के खनिज से राजस्व प्राप्तियों के उद्ग्रहण एवं संग्रहण हेतु भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग उत्तरदायी है। अपर मुख्य सचिव, औद्योगिक विकास विभाग और निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग खनन अधिनियम, नियमों तथा नीतियों के प्रशासन एवं कार्यान्वयन के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी हैं। मुख्यालय पर संयुक्त निदेशक और क्षेत्रीय स्तर पर उप-निदेशक एवं खान अधिकारियों द्वारा निदेशक को सहायता प्रदान की जाती है। खनन कार्यालय प्रत्येक जनपद में जिलाधिकारी के सीधे नियंत्रण में होते हैं।

2.7.4 लेखापरीक्षा उद्देश्य

निष्पादन लेखापरीक्षा यह अभिनिश्चित करने के लिए की गयी कि क्या:

- बजट अनुमान वास्तविक थे;
- विविध अधिनियमों, नियमों और उनके अंतर्गत बनायी गयी नीतियाँ पर्याप्त हैं और प्रभावी ढंग से लागू की जा रही हैं;
- प्राप्तियों के संगणन, उद्ग्रहण एवं वसूली हेतु प्रभावी तंत्र विद्यमान है; और
- प्रभावी आन्तरिक नियंत्रण तंत्र विद्यमान है।

2.7.5 लेखापरीक्षा कार्य क्षेत्र एवं क्रियाविधि

अप्रैल 2014 से अगस्त 2014 की अवधि में विभाग के मुख्यालय, 13 जिला खान अधिकारियों में से पाँच³⁶, ग म वि नि, कु म वि नि एवं सात प्रभागीय वनधिकारियों (प्र व अ) के वर्ष 2009-10 से 2013-14 की अवधि के अभिलेखों की नमूना जांच के द्वारा निष्पादन लेखापरीक्षा संपादित की गयी। प्रोबेबिलिटी प्रोपोर्सनल टु साइज विद रिप्लेसमेंट (पी पी एस डब्ल्यू आर) पद्धति से इकाईयों का चयन प्रत्येक इकाई के कुल राजस्व के आधार पर किया गया और इकाईयों का चयन रेण्डम सैंपलिंग विधि से किया गया। अपर सचिव, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, उत्तराखण्ड सरकार के साथ प्रवेश गोष्ठी (30 मई 2014) सम्पन्न हुई, जिसमें लेखापरीक्षा उद्देश्य, क्षेत्र एवं लेखापरीक्षा की क्रियाविधि पर चर्चा की गयी। अपर मुख्य सचिव, औद्योगिक विकास विभाग के साथ निकास गोष्ठी (20 नवम्बर 2014) सम्पन्न हुई। सरकार से उत्तर प्राप्त नहीं हुए, तथापि, निकास गोष्ठी के दौरान प्राप्त सरकार की प्रतिक्रिया इस प्रतिवेदन के सम्बन्धित प्रस्तरों में सम्मिलित किया गया है।

2.7.6 लेखापरीक्षा मानदण्ड

लेखा परीक्षा मानदण्ड निम्नलिखित स्रोतों से लिए गये हैं।

- खान और खनिज (नियमन और विकास) अधिनियम, 1957
- खनन परिहार नियमावली, 1960
- उत्तराखण्ड उप-खनिज (परिहार) नियमावली, 2001
- उत्तराखण्ड खनिज नीति, 2001
- उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डार का निवारण) नियमावली, 2005

³⁶ देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी, ऊधमसिंह नगर और नैनीताल (स्थित हल्द्वानी)।

- स्टोन क्रशर, स्क्रीनिंग प्लान्ट एवं पल्वराइजर अनुज्ञा नीति, 2011, और
- राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी दिशानिर्देश, संशोधन, परिपत्र और आदेश।

2.7.7 वित्तीय स्थिति

2.7.7.1 खनन क्षेत्र का राजस्व अंशदान

खान एवं खनिज से प्राप्तियां मुख्यतः रॉयल्टी से प्राप्त होती हैं जो कि खनिज के चुगान की मात्रा के आधार पर उद्ग्रहीत होती हैं। अन्य प्राप्तियों में अनुज्ञप्ति शुल्क, पूर्वक्षण प्रभार, सीमांकन एवं सर्वेक्षण प्रभार, अर्थदण्ड और देयताओं के भुगतान में विलम्ब हेतु ब्याज आदि सम्मिलित हैं।

वर्ष 2009-10 से 2013-14 तक लेखाशीर्ष "0853 अलौह खनिज एवं धातुकर्म उद्योग" के अधीन बजट अनुमान, प्राप्त राजस्व के विस्तृत विवरण तालिका 2.7.1 में दिये गये हैं।

तालिका 2.7.1

(₹ करोड़ में)

वर्ष	बजट अनुमान	0853 शीर्ष के वास्तविक प्राप्तियां	बजट अनुमान एवं वास्तविक प्राप्तियों में विचलन	विचलन का प्रतिशत	गत वर्ष के सापेक्ष राजस्व में विचलन	गत वर्ष के सापेक्ष राजस्व में वृद्धि (+) /कमी (-) का प्रतिशत
2009-10	90.00	74.08	(-) 15.92	(-) 17.69	12.35	(+) 20*
2010-11	99.01	93.62	(-) 5.39	(-) 5.44	19.54	(+) 26
2011-12	110.01	112.58	(+) 2.57	(+) 2.34	18.96	(+) 20
2012-13	131.00	109.85	(-) 21.15	(-) 16.15	(-) 2.73	(-) 2
2013-14	151.00	249.99	(+) 98.99	(+) 65.56	140.14	(+) 128

स्रोत: राज्य सरकार का बजट

* वर्ष 2008-09 का राजस्व संग्रहण = ₹ 61.73 करोड़

उपरोक्त तालिका से यह स्पष्ट है कि:

- वर्ष 2011-12 एवं 2013-14 को छोड़कर जहां प्राप्तियां बजट अनुमान से अधिक थी, बजट अनुमानों एवं वास्तविक प्राप्तियों के मध्य 5.44 प्रतिशत से 17.69 प्रतिशत की कमी आयी थी;
- वर्ष 2009-10 से 2013-14 की अवधि के दौरान पिछले वर्ष की तुलना में राजस्व संग्रहण में 20 प्रतिशत से 128 प्रतिशत तक की वृद्धि की प्रवृत्ति थी। वर्ष 2012-13 को छोड़कर, जहाँ राजस्व संग्रहण में 2.73 प्रतिशत की कमी आई। वर्ष 2013-14 में राजस्व में उल्लेखनीय वृद्धि रॉयल्टी की दरों को पुनरीक्षित किये जाने, अवैध खनन पर अर्थदण्ड लगाये जाने और खनन क्षेत्र में वृद्धि के कारण हुई थी।
- राज्य के करेतर राजस्व के संबंध में खनन क्षेत्र से प्राप्तियों के प्रतिशत में वर्ष 2009-10, 2010-11 और 2013-14 में वृद्धि की प्रवृत्ति दिखाई दी तथापि वर्ष 2011-12 और 2012-13 में भारी गिरावट आई। विचलनों के कारणों से, विभाग द्वारा अवगत नहीं कराया गया।

हमने यह भी पाया कि मुख्यालय/निदेशालय द्वारा निम्नलिखित अभिलेखों का रख-रखाव नहीं किया जा रहा था:

- कुल राजस्व वसूली के विस्तृत विवरण, जैसे कि रॉयल्टी, शुल्क, अर्थदण्ड आदि;
- विगत पाँच वर्षों के वर्षवार विवरण/उप-खनिजों के चुगान की कुल मात्रा; और
- विगत पाँच वर्षों में पट्टे में दिया गया कुल क्षेत्र।

इन अभिलेखों के अभाव में, लेखापरीक्षा द्वारा कुल क्षेत्र/चुगान की कुल मात्रा बनाम रॉयल्टी की वसूली का विश्लेषण नहीं किया जा सका।

निकास गोष्ठी के दौरान अपर मुख्य सचिव ने संयुक्त निदेशक खनन को यह निर्देश दिया कि एक अप्रैल 2014 से राजस्व के वर्षवार विवरण, खनिजों के चुगान की मात्रा और पट्टे में दिये गये क्षेत्रों के अभिलेखों का रख-रखाव किया जाय, जैसा कि लेखापरीक्षा ने इंगित किया है।

2.7.8 प्रणालीगत कमियाँ

2.7.8.1 प्रपत्रों का मुद्रण, निर्गम और उपयोग

विभाग अपने क्रियाकलापों में विभिन्न प्रकार के प्रपत्रों का उपयोग करता है। प्रपत्रों (प्रपत्र एम एम 11³⁷ और प्रपत्र जे³⁸) का मुद्रण प्रत्येक जिला खान अधिकारी द्वारा राजकीय प्रेस, रूडकी से अलग-अलग कराया जाता है परन्तु मुद्रण लागत का भुगतान भूतत्व एवं खनिकर्म के मुख्यालय द्वारा किया जाता है। प्रत्येक जनपद में स्थित जिला खान अधिकारी इन प्रपत्रों की प्राप्ति, निर्गम एवं उपयोग के लिए उत्तरदायी है। एक निश्चित शुल्क के भुगतान करने पर पट्टाधारकों को ये प्रपत्र प्राप्य हैं। एक प्रभावी प्रबंधन सूचना प्रणाली (एम आई एस) के अभाव में इन प्रपत्रों के मुद्रण, निर्गम और उपयोग पर भूतत्व एवं खनिकर्म मुख्यालय का कोई नियंत्रण नहीं है। चयनित जिलों में प्रपत्रों से सम्बन्धित अभिलेखों की नमूना जांच में लेखापरीक्षा ने पाया कि:

- नमूना जांच की गयी 250 पुस्तिकाओं में से, 15 पुस्तिकाओं में एक ही क्रमांक की तीन से ज्यादा प्रतियां पाई गयी, 20 पुस्तिकाओं में कुछ क्रमांक नहीं थे और 12 पुस्तिकाओं में कुछ प्रपत्रों में कोई भी क्रमांक नहीं था।
- अनुमत सीमा तक चुगान की जांच के लिए विभाग ने प्रपत्र 11 के निर्गम एवं नियंत्रण की कोई भी पद्धति विकसित नहीं की है। पट्टाधारक के उपलब्ध किसी अभिलेखों से मिलान के बिना शुल्क की प्राप्ति पर प्रपत्र 11 जारी किये जाते हैं, परिणामतः आवश्यकता से अधिक संख्या में जारी हो जाते हैं जिसके कारण अनुमत मात्रा से अधिक मात्रा में उप-खनिजों का चुगान होता है। जैसा कि **प्रस्तर 2.7.11.1** में परिलक्षित है;
- जिला खान अधिकारी, हरिद्वार में 37 पट्टाधारकों ने उनके पट्टा अवधि की समाप्ति के पश्चात भी अप्रयुक्त प्रपत्र 11 वापस नहीं किये थे। इकाई द्वारा पट्टाधारकों से अप्रयुक्त प्रपत्र 11 की वापसी हेतु कोई भी कार्यवाही आरंभ नहीं की गयी थी;
- यद्यपि प्रपत्रों की मुद्रण लागत सभी जिलों हेतु एक समान है परन्तु नैनीताल जिले को छोड़कर एक जिले से दूसरे जिले में प्रपत्रों के निर्गमन शुल्क में ₹ 100 से लेकर ₹ 500 तक का विचलन थी।
- उप-खनिजों के परिवहन हेतु रवन्ना (एम एम 11 और प्रपत्र-जे) पट्टा धारकों को अधिकृत करता है। इनमें परिवहन किये जाने वाले उप-खनिज के सम्बन्ध में महत्वपूर्ण सूचनायें होती हैं। इनके निर्गम और उपयोग का प्रभाव राजस्व वसूली पर पड़ता है। इस प्रकार, जिला खान अधिकारियों द्वारा भण्डार पंजिका के रख-रखाव से इन प्रपत्रों की प्राप्ति, निर्गत और उपयोग की देखरेख में सक्षम बनाता है। चयनित जिला खान अधिकारियों के अभिलेखों की नमूना जांच में निम्न कमियां प्रकाश में आयीं।

³⁷ एम एम 11, जिसे रवन्ना कहा जाता है, उप-खनिजों के परिवहन को प्राधिकृत करता है। विस्तृत विवरण अर्थात खनिज की मात्रा, तिथि एवं समय, वाहन संख्या, वाहन की क्षमता आदि इस प्रपत्र में उल्लिखित किये जाते हैं।

³⁸ फार्म भण्डारों से उप-खनिजों के परिवहन का दस्तावेज है।

- नमूना जांच किये गये पांच जिला खान अधिकारियों में से तीन³⁹ में भण्डार पंजिका का रख-रखाव नहीं किया जा रहा था।
- दो जिला खान अधिकारियों अर्थात् ऊधमसिंह नगर और हल्द्वानी में भण्डार पंजिका का रख-रखाव क्रमशः वर्ष 2012-13 और 2013-14 से किया गया था; और
- चयनित जिला खान अधिकारियों में से किसी में भी भण्डार का भौतिक सत्यापन नहीं किया गया था, जिससे लेखापरीक्षा द्वारा खर्चों के प्राप्ति, निर्गमों और अवशेष की सत्यता का सत्यापन और निश्चितता नहीं की जा सकी। प्रपत्रों की हानि/दुरुपयोग की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है।

निकास गोष्ठी के दौरान, अपर मुख्य सचिव ने लेखापरीक्षा टिप्पणियों से सहमत होते हुए अवगत कराया कि प्रपत्रों को आनलाइन जारी करने हेतु कदम उठाये जा रहे हैं और एक बार जब यह चालू होगा तो लेखापरीक्षा द्वारा इंगित सभी प्रणालीगत कमियों का समाधान हो जायेगा। पट्टे की समाप्ति पर अप्रयुक्त प्रपत्र 11 की वापसी के संबंध में, अपर मुख्य सचिव ने संबंधित उप निदेशक खनन को पट्टाधारकों से इन फार्मों की वापसी के लिए कार्यवाही करने का निर्देश दिया। इसके अतिरिक्त, अपर मुख्य सचिव ने संयुक्त निदेशक, खनन को प्रपत्रों के नियंत्रण तंत्र से संबंधी लेखापरीक्षा टिप्पणियों को संज्ञान में लेने के लिए तथा भण्डार पंजिका के रख-रखाव के लिए सुधारात्मक उपाय हेतु निर्देशित किया। वह इससे भी सहमत थे कि सभी जनपदों में शुल्क में एकरूपता होनी चाहिए एवं 01 अप्रैल 2015 तक इसे सुनिश्चित किया जायेगा।

2.7.8.2 जांच चौकियां

जांच चौकियां महत्वपूर्ण प्रवर्तन केन्द्र हैं जहां वाहनों के वैध आधिपत्य अनुज्ञापत्र और अनुमत भार की जांच होती है। इसके अतिरिक्त, उत्तराखण्ड खनिज नीति, 2011 के प्रावधानों के अनुसार, उप-खनिज के अवैध खनन और परिवहन को नियंत्रण करने के लिए खनन क्षेत्र और अन्य इसी तरह के संवेदनशील क्षेत्रों में आधुनिक निगरानी तंत्र के साथ जांच चौकियों को स्थापित करना था। लेखापरीक्षा ने यह पाया कि राज्य में अब तक कोई जांच चौकी स्थापित नहीं की गयी थी।

निकासगोष्ठी बैठक के दौरान, अपर मुख्य सचिव ने अवगत कराया कि यद्यपि जांच चौकियां स्थापित नहीं की गयी हैं, तथापि, निकासी स्थलों पर कैमरों के साथ-साथ सभी खनन स्थलों पर इलेक्ट्रॉनिक निगरानी प्रणाली की स्थापना विभाग में सक्रिय रूप से विचाराधीन थी। वस्तुस्थिति यह है कि ऐसी कोई व्यवस्था अभी तक स्थापित नहीं की गयी है।

2.7.8.3 खनिज विकास निधि का गठन न किया जाना

उत्तराखण्ड खनिज नीति, 2011 के प्रावधानों के अनुसार खनिज विकास और अनुसंधान के लिए एक निधि स्थापित की जानी थी। वर्ष 2012-13 के लिए सीड कैपिटल के रूप में ₹ एक करोड़ का प्रावधान भी किया जाना था। इसके अतिरिक्त, खनन से प्रभावित क्षेत्र के विकास हेतु पट्टाधारकों से निर्धारित विकास शुल्क की वसूली भी की जानी थी। लेखा परीक्षा में पाया गया कि लेखापरीक्षा तिथि तक न तो सीड कैपिटल का प्रावधान किया गया था और न ही इस प्रकार की निधि बनाई गई थी। इस प्रकार न तो विकास शुल्क निर्धारित किया गया और न ही पट्टाधारकों से वसूला गया।

निकास गोष्ठी के दौरान, विभाग ने अवगत कराया कि खनिज विकास निधि का गठन किया जाना प्रक्रियाधीन है।

³⁹ पौड़ी, हरिद्वार और देहरादून।

2.7.8.4 उप-खनिज के परिवहन में संलग्न वाहनों का पंजीकरण नहीं किया जाना

उत्तराखण्ड उप खनिज नीति, 2011 के प्रावधानों के अनुसार अवैध खनन पर अंकुश लगाने के क्रम में, उप-खनिजों के परिवहन में संलग्न वाहनों का पंजीकरण निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म के कार्यालय में निर्धारित शुल्क देकर किया जाना था।

लेखा परीक्षा ने पाया कि उप-खनिजों के परिवहन में संलग्न किसी भी वाहन का पंजीकरण नहीं किया गया था, जिससे कि न केवल वांछित उद्देश्य की पूर्ति नहीं हुई अपितु उक्त उद्देश्य हेतु संलग्न वाहनों के पंजीकरण से होने वाली शुल्क की वसूली के रूप में प्राप्त होने वाले राजस्व की भी हानि हुई।

निकास गोष्ठी के दौरान, अपर मुख्य सचिव ने लेखापरीक्षा निष्कर्षों से सहमत होते हुए अवगत कराया कि रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेन्टीफिकेशन सिस्टम स्थापित किया जायेगा और उप-खनिजों के परिवहन में संलग्न सभी वाहनों को कोड दिया जायेगा।

2.7.8.5 विवरणियों को प्रस्तुत करना

उत्तराखण्ड उप-खनिज परिहार नियमावली, 2001 के नियम 73 के अनुसार पट्टाधारक प्रपत्र एम एम 12 में विवरणी प्रस्तुत करेगा, ऐसा न करने पर ₹ 400 का अर्थदण्ड लगाया जाना था। तीन⁴⁰ जिला खान अधिकारियों के अभिलेखों की संवीक्षा में यह पाया गया कि पट्टाधारकों ने या तो विवरणियां प्रस्तुत नहीं की या विवरणियां विलम्ब से प्रस्तुत की थीं। फिर भी जिला खान अधिकारी द्वारा कोई भी कार्यवाही अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए या चूक हेतु अर्थदण्ड लगाने के लिए नहीं की गयी। इसके अतिरिक्त लेखापरीक्षा के संज्ञान में आया कि विवरणियों को प्रस्तुत करने संबंधित कोई भी अभिलेख निर्धारित नहीं था या जिला खान अधिकारियों द्वारा रख-रखाव नहीं किया जा रहा था। इस तरह की विवरणियों के अभाव में, आवधिक चुगान के अनुश्रवण हेतु विभाग में कोई तंत्र उपलब्ध नहीं था।

निकास गोष्ठी के दौरान, विभाग ने अवगत कराया कि लेखापरीक्षा निष्कर्षों को संज्ञान में लिया जा रहा है और अपर मुख्य सचिव ने विवरणियों के समय से प्रस्तुत करने की निगरानी हेतु कदम उठाने का निर्देश दिया।

2.7.9 अनुपालन की कमियां

2.7.9.1 रॉयल्टी की कम वसूली

उत्तराखण्ड उपखनिज परिहार नियमावली, 2001 के नियम 22 साथ ही पठित नियम 21 में अनुबद्ध है कि खनन पट्टे के पट्टाधारक अधिनियम की अनुसूची 1 और II में निर्दिष्ट दरों के अनुसार पट्टा क्षेत्र से चुगान किये गये उपखनिजों के संबंध में रॉयल्टी/अपरिहार्य भाटक, जो ज्यादा है और दोनों नहीं, का भुगतान करेगा। अधिसूचना⁴¹ दिनांक 5 अक्टूबर 2009 के अनुसार, उपखनिज के संबंध में रॉयल्टी की दरें ₹ 45 प्रति घन मीटर (नदी तल में) और ₹ 40 प्रति घन मीटर (नदी तल के बाहर) पुनरीक्षित की गयी थी। इन दरों को पुनः ₹ 90 प्रति घन मीटर और ₹ 80 प्रति घन मीटर अधिसूचना⁴² दिनांक 18 जनवरी 2013 के अनुसार पुनरीक्षित किया गया था। अपरिहार्य भाटक की वार्षिक दर भी क्रमशः ₹ 20,000 प्रति एकड़ और पुनः ₹ 40,000 प्रति एकड़ इन अधिसूचनाओं के अधीन पुनरीक्षित किये गये थे।

⁴⁰ देहरादून, हरिद्वार और उधमसिंह नगर।

⁴¹ अधिसूचना सं. 2390/VII-2-09/24-ख/2007 दिनांक 5 अक्टूबर 2009।

⁴² अधिसूचना सं. 162/VII-11-13/24-ख/2007 दिनांक 18 जनवरी 2013।

- (i) जिला खान अधिकारी, हरिद्वार, ग म वि नि और कु म वि नि (पट्टाधारक) के वर्ष 2009-10 से 2012-13 तक के अभिलेखों की संवीक्षा में लेखापरीक्षा ने यह पाया कि पट्टाधारकों ने क्रमशः 31.29 घनमीटर और 0.29 घन मीटर उपखनिज (नदी तल में) का चुगान किया गया था जिसके लिए ₹ 14.33 करोड़ रॉयल्टी का भुगतान किया जाना चाहिए था। जबकि, लेखापरीक्षा के संज्ञान में आया कि पट्टाधारकों ने मात्र ₹ 12.81 करोड़ का भुगतान किया था। इस प्रकार, पट्टाधारकों द्वारा कम रॉयल्टी के भुगतान का पता लगाने में विभाग के विफल रहने के परिणामतः ₹ 1.52 करोड़ के कम राजस्व की वसूली हुई थी।

निकास गोष्ठी के दौरान, अपर मुख्य सचिव ने संयुक्त निदेशक को प्रकरण की जांच करने और आवश्यक कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया।

- (ii) वन क्षेत्र से उपखनिजों के चुगान करने पर उत्तराखण्ड वन विकास निगम वन विभाग को निर्धारित दरों पर कुछ निश्चित प्रभार जैसे पारगमन शुल्क, सड़क मरम्मत शुल्क आदि का भुगतान करता है। संबंधित प्रभागीय वनाधिकारियों को प्रस्तुत चुगान किये गये उपखनिज की कुल मात्रा के आधार पर प्रभारों की गणना की जाती है।

दो प्रभागीय वनाधिकारियों⁴³ के अभिलेखों की संवीक्षा, और चुगान किये गये खनिज एवं भुगतान की गई रॉयल्टी के संबंध में उत्तराखण्ड वन विकास निगम द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना की एक दूसरे के साथ सत्यापन करने में लेखापरीक्षा ने पाया कि वर्ष 2012-13 और 2013-14 के लिए मात्रा, जिस पर प्रभागीय वनाधिकारियों ने पारगमन शुल्क संग्रहीत किया था और मात्रा जिस पर उत्तराखण्ड वन विकास निगम ने रॉयल्टी का भुगतान किया था, में अन्तर था, जैसा कि तालिका 2.7.2 में दिया गया है।

तालिका 2.7.2

क्रम संख्या	जिला खान अधिकारी का नाम	वर्ष	मात्रा जिस पर प्रभागीय वनाधिकारियों द्वारा पारगमन शुल्क संग्रहीत किया गया (घन मीटर में)	मात्रा जिस पर उत्तराखण्ड वन विकास निगम द्वारा रॉयल्टी का भुगतान किया गया (घन मीटर में)	अन्तर (घन मीटर में)	रॉयल्टी की दर प्रति घन मीटर (₹ में)	देय रॉयल्टी (₹ में)	भुगतान किया गया रॉयल्टी (₹ में)	रॉयल्टी का कम भुगतान (₹ में)
	जिला खान अधिकारी, देहरादून	2012-13	16,03,284.75 (9,20,584.23+ 6,82,700.52)	12,02,581.00 (9,20,584.23+ 2,81,996.77)	4,00,703.75	90	10,28,69,337 (9,20,584.23x45+ 6,82,700.52 x90)	6,68,06,000 (9,20,584.23x45+ 2,81,996.77x90)	3,60,63,337 (4,00,703.75x90)
	जिला खान अधिकारी, नैनीताल	2013-14	54,07,289.164	53,12,897.977	94,391.187	90	48,66,56,025	47,81,60,818	84,95,207
कुल									4,45,58,544

उपरोक्त तालिका से यह स्पष्ट है, पट्टाधारक ने रॉयल्टी के भुगतान के उद्देश्य हेतु वर्ष 2012-13 में 4.01 लाख घन मीटर और वर्ष 2013-14 में 0.94 घन मीटर कम मात्रा का उल्लेख किया था। वन विभाग के साथ

⁴³ देहरादून और तराई पूर्वी, हल्द्वानी।

आंकड़ों के आवधिक मिलान की प्रणाली के न होने के परिणामतः ₹ 4.46 करोड़ के रॉयल्टी के कम भुगतान का पता नहीं लगाया गया।

निकास गोष्ठी के दौरान, अपर मुख्य सचिव ने प्रकरणों की जांच और आवश्यक कार्यवाही करने के लिए निर्देश दिए।

2.7.9.2 अस्थाई अनुज्ञापत्रों पर रॉयल्टी की त्रुटिपूर्ण दरों का अनुप्रयोग

दों जिला खान अधिकारियों⁴⁴ द्वारा जारी किये गये अस्थाई अनुज्ञापत्रों से सम्बन्धित अभिलेखों की संवीक्षा में लेखापरीक्षा ने पाया कि 204 में से 14 प्रकरणों में त्रुटिपूर्ण दरों के अनुप्रयोग से कम रॉयल्टी की वसूली हुई थी। इन 14 प्रकरणों में से, तीन प्रकरणों में त्रुटिपूर्ण दरों पर रॉयल्टी की मदवार वसूली की गयी यद्यपि पट्टाधारक ने मिली-जुली अवस्था में उपखनिज (नदी तल के बाहर) का चुगान किया था। परिणामतः ₹ 40.04 लाख के रॉयल्टी की कम वसूली हुई थी।

निकास गोष्ठी के दौरान, अपर मुख्य सचिव ने इन प्रकरणों की जांच और आवश्यक कार्यवाही करने के लिए संयुक्त निदेशक को निर्देशित किया।

2.7.9.3 ईंट भट्टों से रॉयल्टी की वसूली नहीं किया जाना

प्रमुख सचिव के पत्रांक सं. 2391/VII-2-09/24-बी/2007 दिनांक 5 अक्टूबर 2009, के आदेशानुसार ईंट भट्टों की सूची, उनकी स्थिति (पायों की संख्या) सहित चालू ईंट भट्टों की पहचान की तुलना करने हेतु वाणिज्यिक कर विभाग/प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/तहसील से प्राप्त किया जाना था। इसके अतिरिक्त, उन ईंट भट्टों के संबंध में रॉयल्टी की वसूली हेतु कार्यवाही शुरू की जानी थी, जिन्होंने खनन अनुज्ञापत्र प्राप्त नहीं किया था। उत्तराखण्ड उप-खनिज परिहार नियमावली 2001 के नियम 52 के अनुसार आवेदन शुल्क ₹ 400/- देय था।

जिला खान अधिकारी हरिद्वार और ऊधमसिंह नगर के अभिलेखों के साथ सूची का सत्यापन करने पर लेखापरीक्षा के संज्ञान में आया कि 877 में से 782 ईंट भट्टा मालिकों ने वर्ष 2009-10 से 2013-14 की अवधि के लिए रॉयल्टी का भुगतान नहीं किया था। विभाग ने प्रमुख सचिव के निर्देशानुसार न तो सूची प्राप्त की थी न ही रॉयल्टी की वसूली हेतु कोई कार्यवाही प्रारम्भ की थी। विभाग की निष्क्रियता के परिणामतः ₹ 5.88 करोड़ के राजस्व की वसूली नहीं हुई थी। इसके अतिरिक्त, दोषी ईंट भट्टा मालिकों पर ₹ 3.13 लाख का शुल्क और अर्थदण्ड भी लगाया जाना था।

निकास गोष्ठी के दौरान, अपर मुख्य सचिव ने निदेशक, खनन को जांच और दोषी ईंट भट्टा मालिकों से रॉयल्टी की वसूली हेतु वसूली प्रमाणपत्र जारी करने का निर्देश दिया।

2.7.9.4 सीमांकन और सर्वेक्षण प्रभार का उदग्रहण न किया जाना

उत्तराखण्ड उप-खनिज परिहार नियमावली, 2001 के नियम 17 के अनुसार, जब भी कोई लॉट उप-खनिजों के चुगान हेतु आवंटित की जायेगी, निदेशक, भूतत्त्व एवं खनिकर्म समय-समय पर निर्धारित की गयी दरों पर ऐसी लॉटों के सीमांकन और सर्वेक्षण की व्यवस्था करेगा। सीमांकन और सर्वेक्षण केवल तभी किया जायेगा जब इससे संबंधित प्राधिकृत व्यक्ति यह सुनिश्चित करेगा कि इस प्रकार के प्रभार का भुगतान राजकोष में जमा कर दिया गया है।

⁴⁴ देहरादून और ऊधमसिंह नगर।

तीन⁴⁵ जिला खान अधिकारियों और ग म वि नि के कार्यालयों के वर्ष 2009-10 से 2013-14 तक के अभिलेखों की नमूना जांच में यह संज्ञान में आया कि ग म वि नि और उत्तराखण्ड वन विकास निगम द्वारा क्रमशः 15 और 17 लाटों, जो वर्ष 2008-09 से 2013-14 तक के लिए उन्हें आवंटित की गयी थी, के सीमांकन और सर्वेक्षण हेतु किसी प्रभार का भुगतान नहीं किया गया था। विभाग ने न तो इन लाटों के सीमांकन और सर्वेक्षण की व्यवस्था की थी न ही निर्धारित प्रभारों की वसूली की कार्यवाही की थी। इसके परिणामतः ₹ 37.05 लाख के राजस्व की वसूली नहीं हुई थी।

निकास गोष्ठी के दौरान, अपर मुख्य सचिव ने जांच और इन प्रकरणों में नोटिस जारी करने के लिए संयुक्त निदेशक को निर्देशित किया।

2.7.9.5 रॉयल्टी के त्रुटिपूर्ण निर्धारण के कारण आसन्न हानि

प्रमुख सचिव, उत्तराखण्ड शासन द्वारा जारी कार्यालय ज्ञाप⁴⁶ दिनांक 22 मार्च 2013 के अनुसार, उप-खनिजों का चुगान ग म वि नि और कु म वि नि द्वारा राजस्व भूमि में और उत्तराखण्ड वन विकास निगम द्वारा वन भूमि में किया जाना है और प्रत्येक वर्ष में 25 प्रतिशत वृद्धि के साथ रॉयल्टी का भुगतान अग्रिम में किया जाना है। इसके अतिरिक्त, भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899, की अनुसूची-1-ख-35 के क्रमांक 35 (अ)(ii) के अनुसार जहां पट्टा अवधि एक वर्ष से ज्यादा तथा पांच वर्ष से कम हो, देय स्टाम्प शुल्क की गणना औसत वार्षिक किराया/रॉयल्टी के मूल्य के तीन गुना राशि के आधार पर की जानी है।

दो जिला खान अधिकारियों⁴⁷की लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि वर्ष 2013-14 में ग म वि नि और कु म वि नि को क्रमशः छः और चार लाटें आवंटित की गयीं थीं। संवीक्षा में यह पाया गया कि तदुसार, छः लाटों में से एक में और चार लाटों में से तीन में, बगैर 25 प्रतिशत वृद्धि के रॉयल्टी का निर्धारण किया गया था। विभाग की निष्क्रियता के परिणामतः ₹ 24.31 करोड़ की आसन्न हानि और कु म वि नि के संबंध में ₹ 24.31 करोड़ के कम स्टाम्प ड्यूटी की वसूली हुई क्योंकि बढी हुई दरों पर प्रतिफल राशि की गणना नहीं की गयी थी। इसके परिणामतः ₹ 26.94 लाख की कम स्टाम्प ड्यूटी की वसूली हुई।

निकास गोष्ठी के दौरान, अपर मुख्य सचिव ने अवगत कराया कि जनवरी 2013 में दरें पुनरीक्षित की गयी हैं और इसलिए 25 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि अप्रासंगिक हैं। जबकि लेखापरीक्षा ने इंगित किया कि कार्यालय ज्ञाप दिनांक 22 मार्च 2013 (दरों के पुनरीक्षण के बाद जारी) के अनुसार 25 प्रतिशत की बढोत्तरी की जानी थी और छः में से पांच प्रकरणों में इसकी वृद्धि रॉयल्टी की राशि नियत करते समय की गयी थी। अपर प्रमुख सचिव ने प्रकरणों की जांच हेतु संयुक्त निदेशक को निर्देश दिया।

2.7.10 पट्टा विलेख का पंजीकरण

उत्तराखण्ड उप-खनिज परिहार नियमावली, 2001 के नियम 14(3) और (4) के अनुसार, पट्टाधारक पट्टा क्षेत्र से उप-खनिजों के चुगान की स्वीकृति आदेश जारी होने की तिथि से एक माह की अवधि के अन्तर्गत, पट्टा विलेख का पंजीकरण करायेगा और लाट चालू करने की तिथि भी पट्टा विलेख के पंजीकरण की तिथि होगी। भारतीय पंजीकरण अधिनियम 1908 की धारा 17 के अनुसार एक वर्ष से अधिक की अवधि के पट्टे को

⁴⁵ नैनीताल (स्थित हल्द्वानी), देहरादून और हरिद्वार।

⁴⁶ 608/VII-1/2013/146-ख/2010 देहरादून दिनांक 22 मार्च 2013।

⁴⁷ देहरादून और ऊधमसिंह नगर।

अनिवार्यतः पंजीकृत किया जायेगा। इसके अतिरिक्त, भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 की अनुसूची-1-ख-35 के क्रमांक 35(अ)(ii) के अनुसार जहाँ पट्टा अवधि एक वर्ष से अधिक तथा पाँच वर्ष से कम हो, औसत वार्षिक किराया/रॉयल्टी की मूल्य राशि के तीन गुना राशि पर देय स्टाम्प ड्यूटी की गणना की जायेगी।

2.7.10.1 पट्टा विलेख के पंजीकरण में विलम्ब

कु म वि नि के लाटों के आवंटन से संबंधित अभिलेखों की संवीक्षा के दौरान, लेखापरीक्षा के संज्ञान में आया कि आठ लाटें और छः लाटें क्रमशः अक्टूबर 2013 और जनवरी 2014 में आवंटित की गयी थीं। उपरोक्त प्रावधानों के विपरीत, तीन लाटें दो माह के विलम्ब से पंजीकृत हुई थी और दस लाटें दो माह के विलम्ब से पंजीकृत की गयीं, एक लाट तीन माह के विलम्ब से पंजीकृत की गयीं, एक लाट तीन माह के विलम्ब से पंजीकृत हुई थी और दस लाटें लेखापरीक्षा तिथि (जून 2014) तक पंजीकृत नहीं की गयी थी। रॉयल्टी भुगतान की किस्तें लाट के चालू होने की तिथि से शुरू होती है। लाटों के पंजीकरण में विलम्ब और पंजीकरण नहीं कराये जाने के परिणामतः ₹ 4.08 करोड़⁴⁸ के रॉयल्टी की हानि हुई।

निकास गोष्ठी के दौरान, अपर मुख्य सचिव ने प्रकरणों की जाँच और आवश्यक कार्यवाही करने के लिए संयुक्त निदेशक को निर्देशित किया।

2.7.10.2 उप पट्टा विलेख का पंजीकरण नहीं कराया जाना

ग म वि नि और कु म वि नि के अभिलेखों की नमूना जांच में यह संज्ञान में आया कि क्रमशः 13 और चार लाटें वर्ष 2013-14 में, निविदा के माध्यम से एक वर्ष से अधिक अवधि से पुनः पट्टे पर दिये गये थे परन्तु पट्टाधारक और निविदाकार के मध्य उप पट्टा विलेखों को पंजीकृत नहीं कराया गया था। इस प्रकार, उप पट्टा विलेखों का पंजीकरण नहीं कराये जाने के परिणामतः ₹ 2.24 करोड़ की स्टाम्प ड्यूटी और ₹ 1.70 लाख का पंजीकरण शुल्क नहीं लगाया गया।

वह्निर्गमन बैठक के दौरान, अपर मुख्य सचिव ने अवगत कराया कि ये पट्टाधारक निविदा शर्तों के साथ नहीं चल सके, उन्होंने निविदाये दी और बीच में ही लाटों को छोड़ दिया और इसलिए ये पट्टा विलेख पंजीकृत नहीं कराये जा सके। उत्तर मान्य नहीं हैं क्योंकि स्वीकृति आदेश जारी होने के एक माह की अवधि के अन्तर्गत उप पट्टा विलेखों को पंजीकृत कराया जाना था। पंजीकरण में विलम्ब के कारण निविदाकार को बीच में ही भागने का अवसर मिल गया।

2.7.11 उप-खनिजों के अनाधिकृत चुगान/परिवहन पर अर्थदण्ड

खान एवं खनिज (विकास एवं विनिमयन) अधिनियम, 1957 की धारा 4(1) और 4(13) के साथ पठित धारा 21(1) के अनुसार, इस अधिनियम के प्रावधान और इसके अन्तर्गत बनाये गये नियमों और आवंटित खनन पट्टे में परिभाषित नियमों एवं शर्तों के अन्यथा कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार के खनिज के खनन गतिविधि, परिवहन अथवा भण्डारण अथवा परिवहन एवं भण्डारण हेतु पहुंचाने का कार्य नहीं कर सकता है और यदि ऐसा हुआ तो, दोषी को दो वर्षों तक के कारावास से दण्डित किया जा सकता है, अथवा अधिकतम पच्चीस हजार रुपये तक अर्थदण्ड लगाया जा सकता है अथवा दोनों लगाये जा सकते हैं। इस अर्थदण्ड की राशि में उत्तराखण्ड खनिज नीति 2011 के अन्तर्गत संशोधन किया गया और पच्चीस हजार रुपये का अर्थदण्ड एवं सामग्री का मूल्य (रॉयल्टी का पांच गुना) अवैध खनन/परिवहन पर वसूला जाना है। इसके अतिरिक्त,

⁴⁸ तीन लाट ₹ 1.62 करोड़, एक लाट 0.19 करोड़ और दस लाट ₹ 2.27 करोड़।

अस्थाई अनुज्ञापत्र प्रपत्र (एम एम 10) में दी गई शर्तों के अनुसार, अनुमन्य अधिकतम मात्रा के चुगान करने अथवा निर्धारित समयावधि के समाप्त होने, जो भी पहले हो, होने पर अनुज्ञापत्र स्वतः निरस्त हो जायेगा।

2.7.11.1 उप-खनिजों का अनाधिकृत चुगान

लॉट के आवंटन पर पट्टाधारक को जारी स्वीकृति/आवंटन पत्र में पट्टे के नियम एवं शर्तें होती हैं जिन पर उप-खनिजों के चुगान के दौरान ध्यान देना होता है। चयनित जिला खान अधिकारियों की लेखापरीक्षा के दौरान यह संज्ञान में आया कि विभाग द्वारा नियमित सर्वेक्षण को न तो निर्धारित किया गया न ही किया गया जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि पट्टाधारकों द्वारा इन नियमों एवं शर्तों का उल्लंघन तो नहीं किया जा रहा है। नियमित सर्वेक्षण और निगरानी के अभाव में शर्तों का उल्लंघन हुआ परिणामतः उपखनिजों का अनाधिकृत चुगान किया गया जैसा कि नीचे चर्चा की गयी है।

- (i) जिला खान अधिकारी, ऊधमसिंह नगर के पट्टा प्रकरणों के पत्रावलियों की नमूना जांच में लेखापरीक्षा के संज्ञान में आया कि 41 अस्थाई अनुज्ञापत्र धारकों में से आठ के द्वारा 47,300 घन मीटर अनुमत मात्रा के सापेक्ष 69,219.94 घन मीटर उप-खनिजों का चुगान किया गया। इस प्रकार अनुमत मात्रा से अतिरिक्त 21,919.94 घन मीटर का चुगान किया गया।
- (ii) कू म वि नि को एक लॉट पट्टे पर दी गयी थी, जिसकी अनुमत मात्रा 15,090 घन मीटर प्रति वर्ष थी, परन्तु पट्टाधारक द्वारा तीन वर्ष में अनुमत मात्रा से अतिरिक्त 16,136 घन मीटर उप-खनिजों का चुगान किया गया। जिला खान अधिकारी द्वारा न तो अतिरिक्त मात्रा के चुगान करने पर पट्टाधारक के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गयी न ही अतिरिक्त मात्रा की लागत और अर्थदण्ड के ₹ 1.65 करोड़ की वसूली की कार्यवाही की गयी।

उक्त को इंगित किये जाने पर जिला खान अधिकारी ने अवगत कराया कि अतिरिक्त चुगान पर रॉयल्टी का भुगतान किया गया है। उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि अस्थाई अनुज्ञापत्र में दी गई शर्तों में यह स्पष्ट है कि अनुमत अधिकतम मात्रा के चुगान करने पर अथवा निर्धारित समयावधि की समाप्ति पर, जो भी पहले हो, अस्थाई अनुज्ञापत्र स्वयमेव निरस्त हो जायेगा। इसलिए अतिरिक्त चुगान की मात्रा अनधिकृत थी और अर्थदण्ड भी लगाया जाना चाहिए था।

2.7.11.2 अवैध खनन पर अर्थदण्ड कम आरोपित करना

दो जिला खान अधिकारियों⁴⁹ के अभिलेखों की नमूना जांच के दौरान यह संज्ञान में आया कि वर्ष 2012-13 और 2013-14 से संबंधित अवैध खनन के 150 प्रकरण विभिन्न प्राधिकारियों जैसे उपजिलाधिकारी, अपर मजिस्ट्रेट आदि द्वारा पकड़े गये। इन प्रकरणों में, आरोपित अर्थदण्ड, नीति में निर्धारित राशि से कमतर था। इस प्रकार अर्थदण्ड की निर्धारित राशि आरोपित करने में विफलता के परिणामतः ₹ 19.38 लाख अर्थदण्ड कम आरोपित किया गया।

उक्त को इंगित किये जाने पर जिला खान अधिकारी हरिद्वार ने अवगत कराया कि जिलाधिकारी के आदेशानुसार कुछ प्रकरणों में अर्थदण्ड कम लगाया गया था। तथापि, नीति के अनुसार अर्थदण्ड भविष्य में लगाया जायेगा।

⁴⁹ हरिद्वार और देहरादून।

निकास गोष्ठी के दौरान, अपर मुख्य सचिव ने उत्तर दिया कि दण्डात्मक प्रावधान प्रथम अपराधी एवं निरन्तर अपराधी में भेदभाव नहीं करता है और वृद्धिशील वर्गीकृत आधार पर दण्डात्मक प्राविधान विचाराधीन है जहाँ पर अपराध की संख्या में वृद्धि के आधार पर अर्थदण्ड की राशि में वृद्धि होगी (प्रथम, द्वितीय और अनुवर्ती अपराध)। उत्तर मान्य नहीं है, क्योंकि प्रचलित दण्डात्मक प्रावधानों को पुनरीक्षित होने के पूर्व तक लगाया जाना था।

2.7.12 रॉयल्टी के विलम्बित भुगतान पर ब्याज का न लगाया जाना

उत्तराखण्ड उप-खनिज परिहार नियमावली, 2001 के नियम 58(2) के अनुसार किसी किराया, रॉयल्टी, सीमांकन शुल्क और अन्य देयताओं के भुगतान में विलम्ब पर 24 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से राज्य सरकार को ब्याज देय होगा। अधिसूचना⁵⁰ दिनांक 23 सितम्बर 2013 के साथ पठित अधिसूचना⁵¹ दिनांक 22 मार्च 2013 के द्वारा इस दर में संशोधन किया गया और 18 प्रतिशत प्रति वर्ष तक कम कर दिया गया।

जिला खान अधिकारी, ऊधमसिंह नगर के अभिलेखों की लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि दस प्रकरणों में, विलम्ब से रॉयल्टी का भुगतान किया गया था। यह विलम्ब 36 और 315 दिन का था जिसके लिए विभाग द्वारा ब्याज नहीं लगाया गया। इसके परिणामतः ₹ 3.43 लाख के ब्याज की वसूली नहीं हुई।

निकास गोष्ठी के दौरान, अपर मुख्य सचिव ने प्रकरणों की जांच और आवश्यक कार्यवाही हेतु संयुक्त निदेशक को निर्देश दिया।

2.7.13 अन्य ध्यान देने योग्य बिन्दु

- कार्यालय ज्ञाप⁵² दिनांक 23 सितम्बर 2013 के अनुसार, लॉट से चुगान की अनुमत मात्रा की गणना ज्ञाप पर दिये गये सूत्र के आधार पर की जायेगी। जिला खान अधिकारी, देहरादून में लेखापरीक्षा ने पाया कि पाँच प्रकरणों में निर्धारित अनुमत मात्रा, सूत्र द्वारा निर्धारित मात्रा से कम थी।
- अधिसूचना⁵³ दिनांक 05 अक्टूबर 2009 के अनुसार, साधारण मिट्टी के प्रकरण में रॉयल्टी की दर ₹ 5.56 प्रति टन और ₹ 8 प्रति घन मीटर और चूना पत्थर के लिए ₹ 55 प्रति टन और ₹ 108 प्रति घन मीटर है। टन को घन मीटर में परिवर्तित करने पर मिट्टी हेतु ₹ 10.01 प्रतिघन मीटर⁵⁴ और चूना पत्थर हेतु ₹ 99 प्रति घन मीटर⁵⁵ होती है जोकि अधिसूचित दर से भिन्न है। इस प्रकार, खनिज की एक ही मात्रा के लिए टन और घन मीटर में गणना करने पर रॉयल्टी में अन्तर आता है।
- कार्यालय ज्ञाप⁵⁶ दिनांक 22 मार्च 2013 के अनुसार, एक वर्ष से अधिक के पट्टे पर निगमों द्वारा रॉयल्टी का भुगतान पच्चीस प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि के साथ अग्रिम में किया जायेगा। परन्तु एक वर्ष से अधिक के निजी लॉटों के प्रकरण में कोई भी वृद्धि का प्रावधान नहीं है।

⁵⁰ सं. 1917/VII-1/13-ख/2013।

⁵¹ सं. 608/VII-1/146-ख/2010।

⁵² सं. 1917/VII-1/130-ख/2013 दिनांक 23 सितम्बर 2013।

⁵³ सं. 2390/VII-2-09/24-ख/2007 दिनांक 05 अक्टूबर 2009।

⁵⁴ ₹ 5.56 प्रति टन X 1.8 (1.8 टन = 1 घन मीटर)।

⁵⁵ ₹ 55 प्रति टन X 1.8 (1.8 टन = 1 घन मीटर)।

⁵⁶ सं. 608/VII-1/146-ख/2010 देहरादून दिनांक 22 मार्च 2013।

- जिला खान अधिकारी देहरादून में यह संज्ञान में आया कि 24 प्रकरणों में, भण्डार मालिकों ने अनुज्ञापत्र के नवीकरण हेतु वर्ष 2011-12 में आवेदन दिया था। अपेक्षित शुल्क भी इन मालिकों द्वारा जमा किया गया था और पांच मामलों में तहसीलदार की नवीकरण संस्तुति भी संलग्न पाई गई। लेखापरीक्षा के संज्ञान में आया कि दो वर्ष व्यतीत होने के पश्चात भी नवीकरण लम्बित थे।
- स्टोन क्रेशर नीति 2011 के प्रावधानों के अनुसार, स्टोन क्रेशर मालिकों को प्रत्येक वर्ष पर्यावरणीय अनुमति लेना था। जिला खान अधिकारी, हरिद्वार में लेखापरीक्षा ने पाया कि 10 स्टोन क्रेशर के प्रकरणों में पर्यावरणीय अनुमति प्रमाण पत्र की प्राप्ति किये बिना नवीनीकरण किया गया था।
- उत्तराखण्ड वन विकास निगम उपभोक्ताओं से लागू दो प्रतिशत के बजाय आठ प्रतिशत की दर से स्टाम्प ड्यूटी की वसूली कर रहा था और उसे सम्बन्धित लेखाशीर्ष में जमा कर रहा था। स्टाम्प ड्यूटी की राशि जिसका लाट के शुरू होने पर भुगतान करना था उसका भुगतान किस्तों में किया जा रहा था।

2.7.14 आन्तरिक नियंत्रण

नियमों और नियमनों के लिए अन्तर्भूत आन्तरिक नियंत्रण तंत्र और कठोर अनुपालन, विभाग के प्रभावकारी एवं सक्षम परिचालन में उचित आश्वासन प्रदान करता है।

पूर्व में उल्लिखित विभिन्न कमियाँ यह दर्शाती हैं कि, रॉयल्टी और अर्थदण्ड की पूर्ण वसूली और उप-खनिजों के अवैध चुगान की निगरानी को सुनिश्चित करने के लिए विभाग में आन्तरिक नियंत्रण तंत्र और अनुश्रवण पर्याप्त मजबूत नहीं था।

2.7.14.1 आन्तरिक लेखापरीक्षा

आन्तरिक लेखापरीक्षा आन्तरिक नियंत्रण का एक महत्वपूर्ण घटक है और सामान्यतः सभी नियंत्रणों के नियंत्रण के रूप में परिभाषित किया गया है। यह संगठन को ये सुनिश्चित करने के लिए सक्षम बनाता है कि निर्धारित प्रणाली संतुलित रूप में कार्य कर रही हैं। लेखापरीक्षा ने पाया कि विभाग में आन्तरिक लेखापरीक्षा शाखा नहीं था।

अपर मुख्य सचिव ने लेखापरीक्षा निष्कर्षों से सहमति व्यक्त करते हुए एक सचिव स्तर के अधिकारी के नेतृत्व में विभाग में आन्तरिक लेखापरीक्षा शाखा का गठन करने हेतु निर्देशित किया और प्रत्येक तीन माह में आन्तरिक लेखा परीक्षा किये जाने के भी निर्देश दिये।

2.7.14.2 विभागीय संहिता

संहिता, गुणवत्ता प्रबन्धन प्रणाली का एक आवश्यक अंग है क्योंकि यह नीतियों और विभागीय मानकों के अनुसार कार्य पूरा करने के लिए मार्गदर्शन और निर्देश प्रदान करता है। लेखापरीक्षा ने पाया कि विभाग ने कोई संहिता नहीं बनाई थी। कार्यों और प्रक्रियाओं की संहिताबद्ध पुस्तिका के अभाव में सम्भव है कि विभाग के कार्यप्रणाली पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है और परिणामतः बहुत सी प्रणालीगत कमियाँ आयीं जैसा कि पूर्व में चर्चा की गयी है।

निकास गोष्ठी के दौरान, अपर मुख्य सचिव ने अवगत कराया कि विभागीय संहिता के स्थान पर मजबूत प्रबन्धन और सूचना तंत्र आज की आवश्यकता है और इसके अतिरिक्त, अवगत कराया कि एक बार प्रपत्रों को आनलाईन जारी करने और रेडियो फ्रीक्वेन्सी आइडेन्टीफिकेशन प्रणाली चालू होने पर प्रबन्धन और सूचना तंत्र

को मजबूत बनाया जा सकेगा। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि विभागीय संहिता विभागीय नीतियों और मानकों के अनुरूप लक्ष्यों की प्राप्ति में मार्गदर्शन और निर्देश प्रदान करता है।

निष्कर्ष

उप खनिजों की चुगान की मात्रा के विवरण और इनसे प्राप्तियों की वसूली के विवरण के कोई भी अभिलेख का रख-रखाव मुख्यालय द्वारा नहीं किया गया था। विभाग में प्रपत्रों की प्राप्ति, निर्गम और प्रयोग के अनुश्रवण हेतु नियंत्रण तंत्र नहीं था। रॉयल्टी और अर्थदण्ड की वसूली नहीं की जा रही थी अथवा कई मामलों में कम आरोपित की जा रही थी। पट्टाविलेखों के पंजीकरण नहीं किये जाने अथवा विलम्ब से किये जाने और उप-खनिजों के अवैध चुगान/अवैध खनन के परिणामतः विभाग को काफी मात्रा में राजस्व की हानि हुई। चुगान की सही मात्रा के आकलन में और वन भूमि से उपखनिजों के अवैध खनन के प्रकरणों पर अर्थदण्ड आरोपित करने में वन विभाग के साथ समन्वय के अभाव के परिणामतः राजस्व की हानि हुई। विभाग में आन्तरिक लेखापरीक्षा शाखा नहीं थी। कार्यों और प्रक्रियाओं की संहिताबद्ध विभागीय संहिता भी नहीं बनाई गयी थी।

संस्तुतियाँ

सरकार/विभाग विचार कर सकते हैं:

- (i) भण्डार पंजिका का रख-रखाव, प्रपत्रों की प्राप्ति, निर्गम और प्रयोग से संबंधित आवधिक विवरणियाँ प्रस्तुत करना और भण्डार का आवधिक सत्यापन करना; और
- (ii) विभागीय संहिता को तैयार करके और आन्तरिक लेखापरीक्षा शाखा का गठन करके आन्तरिक नियंत्रण को मजबूत करना।

उपरोक्त बिन्दु सरकार को प्रतिवेदित किये गये (सितम्बर 2014); उत्तर प्रतीक्षित है (दिसम्बर 2014)